खण्ड-410, अंक-2
बुधवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(16 मार्च, 1994 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 410 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
ब० स० पा० की राष्ट्रीय महामंत्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति कहे गये अपमान जनक शब्द विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–78
वित्तीय वर्ष 1994-95 के माह अप्रैल, मई और जून, 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लेखानुदान का विवरण...	78
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994..... (पारित) ...	78–94
नियम–311, 301 तथा 300 की प्राप्त सूचनाओं को निरस्त किये जाने की सूचना	94
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994..... (सदन के पटल पर रखा गया)	94
उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	94–95
उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	95
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत किये जाने की सूचना ...	95
आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा की सूचना...	95
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	95–96
इलाहाबाद शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री गिरधर गोपाल गुलाटी को असामाजिक अपराधी तत्वों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	96
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वैयक्तिक सहायक परीक्षा 1992 में कथित रूप से की गई गम्भीर अनियमितता, पक्षपात अभ्यर्थियों के उत्पीड़न तथा परीक्षा से पूर्व प्रश्न-पत्र आउट होने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	96–98
प्रदेश के सेवा निवृत्त अध्यापकों को पेंशन भुगतान में देरी के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	98–99
पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	99–100
नत्थियां	101–109

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	डी० पी० यादव	बुलन्दशहर
अतीक अहमद	इलाहाबाद	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर	खीरी
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा	फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	बाबू खां, श्री	हरदोई
इरशाद, श्री	आजमगढ़	भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
गया चरण दिनकर, श्री	बांदा	महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
चन्द्र विजय सिंह उर्फ		मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी	मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर	
जितेन्द्र कुमार जायसवाल		उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं	रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
दया सिन्धु शंखवार, श्री	बदायूं	रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
दौलत राम, श्री	सीतापुर	राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
धर्मपाल यादव उर्फ			

राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
राम देव वर्मा, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम लखन वर्मा, श्री	फैजाबाद
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लालजी, श्री	वाराणसी
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
श्री राम पाल, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
सफदर रजा खां, श्री	सुल्तानपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

ब० स० पा० की राष्ट्रीय महामंत्री मायावती द्वारा महात्मा गांधी के प्रति कहे गये अपमानजनक शब्द विषयक नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, हमने नियम–311 के अन्तर्गत नोटिस दी है । आप उस पर चर्चा करा दें । पहले उस पर.....

(श्री कल्याण सिंह अपने दल के, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल आदि समस्त सदस्यों के साथ रिपोर्टर्स टेबिल के सामने वेल आफ दी हाउस में आ गये और नारे लगाने लगे––"मायावती को गिरफ्तार करो" "मायावती को गिरफ्तार करो")

(कांग्रेस दल के समस्त सदस्य सर्वश्री प्रमोद तिवारी, जगदम्बिका पाल एवं नरेश अग्रवाल आदि भी वेल आफ दि हाउस में आ गये)

(दोनों पार्टियों के सारे लोग "मायावती को गिरफ्तार करो" के नारे लगाने लगे)

(करीब डेढ़-दो मिनट बाद वेल आफ दि हाउस में उपस्थित सारे सदस्य वहीं बैठ गये)

(श्री जगदम्बिका पाल गांधी जी का यह अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी हालत में अब हम सदन की बैठक 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं ।

(इस समय 11 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में 2000 यूनिट पर एक उचित दर की दुकान खोले जाने विषयक जानकारी

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में 2,000 यूनिट पर एक राशन की दुकान खोलने का निर्देश भारत सरकार ने दिया है ? यदि हां, तो उक्त निर्देश के तहत क्या राशन की दुकानें प्रदेश में खुल गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश सरकार द्वारा उक्त निर्देश का पालन कब तक कर दिया जायेगा ?

---

† प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

भारत सरकार से इस आशय के कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में प्रचलित यूनिटों का समुचित आंकलन करने के उपरान्त निजी क्षेत्र की 2000 यूनिट पर एक उचित दर की दुकान खोलने के निर्देश दिये गये हैं। नगरीय क्षेत्र में कार्यरत सहकारी क्षेत्र की दुकानों से 4000 यूनिट समबद्ध किये जाने के आदेश हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक 4000 यूनिट पर एक उचित दर की दुकान खोले जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय

**2–श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी विकास की गति को प्रभावित करती है ? यदि हां, तो सरकार बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों में लक्ष्य दम्पत्तियों को गर्भनिरोधक विधियों/ साधनों संबंधी समस्त सेवायें (नसबन्दी पुरुष/महिला, कापर-टी निवेशन, निरोध व ओरल पिल्स का वितरण तथा चिकित्सीय गर्भ समापन) निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। लक्ष्य दम्पत्तियों में छोटे परिवार की अवधारणा की ग्राह्यता एवं स्वीकार्यता के विस्तार के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन आन्दोलन का स्वरूप प्रदान करने हेतु गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता से एक दस वर्षीय अनुभवी परियोजना भी इसी वर्ष प्रदेश में प्रारम्भ की गयी है, जिसमें सरकारी तंत्र के साथ-साथ गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने तथा स्थायी विधियों के साथ-साथ समयान्तर विधियों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के कतिपय ग्रामों को गंगा नदी के कटान से बचाने हेतु बांध बनवाने की मांग

*1–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में करछना तहसील के अन्तर्गत रेमण्ड सिन्थेटिक के बगल में चाड़ी आदि गांवों में गंगा नदी से भीषण कटाव हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कटाव के फलस्वरूप निकटवर्ती गांवों और उक्त औद्योगिक क्षेत्र के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे दूर करने के लिये वहां पर कोई बांध बनवाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और बांध कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त कटान से ग्राम ललईन कला की आबादी को ही खतरे की सम्भावना है ।

फिलहाल कोई ऐसी योजना नहीं है ।

प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने हेतु कन्ट्रोल आर्डर्स के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि नई सरकार के कार्यकाल में महंगाई लगातार बढ़ रही है ? यदि हां, तो सरकार इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के पिछले 3 माह में महंगाई कुछ प्रतिशत अवश्य बढ़ी है उदाहरण स्वरूप माह दिसम्बर से जनवरी तक गेहूं एवं चावल के मूल्यों में 3% एवं 1.6% की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार जनवरी की तुलना में माह फरवरी में गेहूं एवं चावल के मूल्यों मे क्रमशः 1.6%एवं 3.8% की वृद्धि हुई है । परन्तु फरवरी से मार्च की तुलना में गेहूं एवं चावल के मूल्यो में क्रमशः 7.9% एवं 5.8% की वृद्धि हुई है ।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल प्रारम्भ होने से पूर्व माह अगस्त, 93 की तुलना में माह सितम्बर, 93 में गेहूं एवं चावल के मूल्यों में क्रमशः 7.4% एवं 0.3% की वृद्धि हुई है । माह सितम्बर की तुलना में माह अक्टूबर, 893 में गेहूं एवं चावल के मूल्यो मे क्रमशः 7.8% एवं 4.5% की वृद्धि हुई है इसी प्रकार माह सितम्बर, 93 से अक्टूबर, 93 की तुलना में चीनी में 2.7% वृद्धि हुई है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मूल्यों के घटने बढ़ने की यह प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है ।

माह फरवरी, 94 की तुलना में माह मार्च, 94 में मूल्य वृद्धि का कारण फरवरी के प्रथम सप्ताह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों यथा गेहूं एवं चावल के मूल्यों में भारत सरकार द्वारा वृद्धि किया जाना है ।

मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिये जिलाधिकारियों को वर्तमान कन्ट्रोल आर्डर्स के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रदेश में अप्रशिक्षित चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश

*3–श्री हृदय नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में बगैर किसी चिकित्सा शिक्षा/डिग्री/डिप्लोमा के ही स्वयं के नाम के आगे डाक्टर या नाम के अन्तर्गत में पी० एम० पी०, आर० एम० पी०./गोल्ड मेडलिस्ट/गुप्त रोग विशेषज्ञ आदि लिखकर आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने वाले लाखों फर्जी डाक्टरों के विरुद्ध क्या सरकार कोई अभियान चलने जा रही है ? क्या सरकार गांव में प्रैक्टिस करने के इच्छुक प्रतिभाशाली शिक्षित युवाओं को द्विवर्षीय/त्रिवर्षीय कोई प्रशिक्षण देकर चिकित्सा शिक्षा से लैस प्राइवेट प्रैक्टिसनर बनाये जाने पर प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं, इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों, जिनके पास निर्धारित अर्हता न हो एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा व्यवसाय करते हुए पाये जायें, के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के स्थायी आदेश पूर्व से ही विद्यमान हैं।

चूंकि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त डिग्री एवं डिप्लोमा धारक चिकित्सक उपलब्ध हैं, अतः गांवों में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के इच्छुक शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देकर प्राइवेट प्रैक्टिश्नर बनाये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा काय-सचालन नियमावली, 1948 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद हरदोई स्थित शारदा नहर की ब्रांच की कटान से फसलों की क्षति होना

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 19-9-93 को जनपद हरदोई स्थित शारदा नहर (हरदोई ब्रांच) के मील 106 फर्लांग 5 में नहर की दायीं पटरी कट जाने से नूरपुर, हथौड़ा एवं अन्य कई ग्रामों के किसानों की फसलें चौपट हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्रामवासियों को मुआवजा दिलाये जाने हेतु अक्टूबर, 93 के अन्तिम सप्ताह में जिलाधिकारी, हरदोई से अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो मुआवजे के भुगतान के बजाय 185 किसानों पर जुर्माने हेतु कार्यवाही करने का क्या कारण है ? क्या इस सिलसिले में 10 मृतक किसानों के नाम से भी नोटिस जारी की गयी है ? क्या मंत्री जी इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना सही नहीं है कि जनपद हरदोई स्थित शारदा नहर हरदोई ब्रान्च की कथित कटान से फसलों को नुकसान हुआ है।

जिलाधिकारी, हरदोई को प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र संख्या शून्य दिनांक 24 सितम्बर, 1993 प्राप्त हुआ था।

मुआवजा फसल के नुकसान होने पर ही देय होता है। इस मामले में चूंकि फसल का नुकसान नहीं पाया गया इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न नहीं था चूंकि जांच में यह कटिंग अवैध कटिंग पाई गई थी इसलिये कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट की धारा 33–35 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी।

तावान के नोटिस पर अपील का प्राविधान नियमानुसार कृषक को उपलब्ध है।

जांच का कोई औचित्य नहीं है।

मण्डी समिति, जनपद गोरखपुर द्वारा अर्जित आय से सम्पन्न कार्यों का विवरण

*2–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, गोरखपुर को विगत 3 वर्षों में शासन द्वारा तथा स्थानीय रूप से कितनी आय हुई ? क्या जितनी आय हुई है उसका 60 प्रतिशत संबंधित क्षेत्र में खर्च हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में कितना काम हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मण्डी समिति, गोरखपुर को शासन द्वारा कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई है, केवल स्थानीय रूप से रु० 450.31 लाख की आय हुई है।

जी हां। इस मण्डी की आय का गत तीन वर्षों का 71.28% खर्च हुआ है।

नवीन फल एवं सब्जी मण्डी तथा नवीन गल्ला मंडी निर्माण कार्य पर व्यय रु० 272.19 लाख तथा रु० 48.79 लाख मानीराम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में हुए कार्य का विवरण संलग्न है। †

प्रश्न ही नहीं उठता।

बुधवार दि० 16-3-94 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कार्यरत मुख्य खाद्य निरीक्षकों से सुपरवीजन का कार्य कराने की मांग

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत मुख्य खाद्य निरीक्षक के पद राजपत्रित हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य खाद्य निरीक्षकों से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नमूना संग्रह करने का अधिकार भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त फूड एक्ट में निहित है ? यदि नहीं, तो इनसे नमूना संग्रह कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार फूड एक्ट में निहित नियमों के अन्तर्गत ही कार्यों का सम्पादन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? कया सरकार राजपत्रित मुख्य खाद्य निरीक्षकों से सुपरवीजन का कार्य लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां।

पहले से ही कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां। पहले से ही कराया जा रहा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

*2–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[6ठे बुध के लिये स्थगित]

*3–श्री बदन सिंह–

[6ठे बुध के लिये स्थगित]

---

† छापा नहीं गया।

भारत सरकार द्वारा पूर्ण कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के चयन के प्रस्ताव पर प्रतीक्षित निर्णय

*4–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1992-93 में उ० प्र० के किसी भी एक जिले में पूर्ण कृषि बीमा योजना लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश शासन से जिले का नाम मांगा गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा किस जिले का नाम भेजा गया है तथा कब ? भारत सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है ? क्या कोई उत्तर वहां से अब तक प्राप्त हुआ है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जनपद सीतापुर ।

नवम्बर, 1992 ।

निर्णय प्रतीक्षित है ।

जी नहीं ।

जनपद सुल्तानपुर स्थित पेट्रोल पम्पों के नमूनों में पाये गये अपमिश्रण के विरुद्ध कार्यवाही

*5–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं वर्ष 1993-94 में कितने पेट्रोल पम्पों के नमूने लिये गये ? क्या उनमें कोई अनियमितता पायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार पाये गये हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1991-92 में छः पेट्रोल पम्पों के नमूने लिये गये थे । वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में किसी पेट्रोल पम्प से नमूने नहीं लिये गये । वर्ष 91-92 में लिये गये सभी नमूनों में से डीजल में सभी तथा पेट्रोल में एक में अपमिश्रण पाया गया । इन पम्पों के संबंध में लीसेंस के निलम्बन और कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गयी ।

*6–श्री बची सिंह रावत–

[4 थे मंगल में ता० प्र० सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय में वर्ष 1992 में की गयी नियुक्ति में आरक्षण कोटा पूर्ण न करने की जांच

*7–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में विगत फरवरी, 1992 में हुई चतुर्थ/तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में आरक्षित कोटा पूर्ण किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो उक्त पदों पर नियुक्तियां की गयी थीं, वह चयन समिति तथा शासनादेश के अनुरूप ही की गयी थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

फरवरी, 1992 में उक्त चिकित्सालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षित कोटा पूर्ण था परन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में आरक्षित कोटा पूर्ण नहीं किया गया । इसकी जांच कराई जा रही है ।

चयन समिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित सामान्य श्रेणी सदस्य नहीं था ।

*8–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

[4थे मंगल में ता० प्र० सं० 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अपात्र कर्मचारियों को अनियमित एरियर के भुगतान में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

*9–श्री मोहर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य विभाग में शासनादेश सं०–2076/द्रांच–13–93 जी(25)/88, दिनांक 22-5-93 के अन्तर्गत अपात्र कर्मचारियों को लाखों रुपये का अनियमित एरियर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित भुगतान से सरकार पर कितने करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ा है ? क्या सरकार दोषी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से अनियमित भुगतान की उक्त धनराशि की वसूली की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*10–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

*11–श्री हरी शंकर माहौर, इंजी० राम लोटन सिंह पटेल तथा श्री चन्द्र किशोर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद विद्यमान हैं ? उनमें से प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है ? यदि प्रतिनिधित्व कम है, तो इसे पूर्ण करने की दिशा में राष्ट्रीय एकीकरण/कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस विभाग में कुछ श्रेणी के विद्यमान पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति में वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटा के रिक्त पदों को भरने हेतु अब तक कोई विशेष चयन हुआ है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं मण्डी समितियों में अलग-अलग संवर्ग में श्रेणी–1 में कुल 31, श्रेणी–2 में 92, श्रेणी–3 में 2419 एवं श्रेणी–4 में 2609 पद नियमानुसार स्वीकृत हैं । इनके अतिरिक्त "परिषद् स्तर" से श्रेणी–1 के 24, श्रेणी–2 के 44, श्रेणी–3 के 287 तथा श्रेणी–4 के 107 पद दि० 30-11-87 के बाद सृजित किये गये हैं जिसके संबंध में शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।

अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व श्रेणी–1 में 8%, श्रेणी–2 में 6%, श्रेणी–3 में 13% तथा श्रेणी–4 में 16% है । अनुसूचित जनजाति का श्रेणी–1 तथा श्रेणी–2 में कोटा नहीं बनता एवं श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4 प्रत्येक में प्रतिनिधित्व 0.2% प्रतिशत है ।

जी हां ।

जी नहीं । कुछ श्रेणी मे नहीं, अपितु कुछ संवर्ग/पद में कार्यरत के विरुद्ध अनुमन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व शून्य है ।

प्रोन्नति हेतु निचले संवर्ग में आरक्षित वर्ग के अर्ह एवं पात्र कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

दि० 15-10-90 व दि० 14-11-91 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री परशु राम–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति में विभिन्न श्रेणी के पदों पर पिछड़ी जाति का आरक्षण

*13–श्री ओम प्रकाश पासवान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् एवं कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान पदों पर पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कितना है ? क्या पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व कम है ? यदि हां, तो इसे पूर्ण कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ? सम्प्रति वहां पिछड़ी जाति के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है ? क्या यह भी बतायेंगे कि सामान्य रिक्ति के पद के विरुद्ध, पिछड़ी जाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ? उक्त विभाग में पिछड़ी जाति के लिये विद्यमान पद मे आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व की संख्या/प्रतिशत कितना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*14–श्री अजय कुमार पोइया–

[6ठे बुध के लिये स्थगित]

उ० प्र० स्थित मेडिकल कालेजों में आचार्य प्राचार्य, के आरक्षित पदों पर भर्ती हेतु पृथक चयन बोर्ड बनाने की मांग

*15–श्री राम बाबू हरित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा उ० प्र० के मेडिकल कालेजों में आचार्य, प्राचार्य के आरक्षित पदों की भर्ती हेतु अलग से चयन बोर्ड बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मेडिकल कालेजों में आयोग के माध्यम से आरक्षित पदों पर नियुक्तियां प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत ही की जाती है।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में गुर्रा तथा राप्ती नदियों के कटाव ग्रस्त क्षेत्र में वर्णित ग्रामों के बचाव की मांग

*16–श्री मुक्ति नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद देवरिया के गोर्रा और राप्ती नदी के किनारे किन-किन गांवों को कटान से खतरा है तथा कौन-कौन से गांव नदी की धारा में विलीन होने की स्थिति में हैं और वर्तमान समय में सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद देवरिया के गुर्रा तथा राप्ती नदियों व उन पर निर्मित बन्धों के बीच कुल 15 गांव (सूची संलग्न) कटाव ग्रस्त क्षेत्र में स्थित हैं।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 101 पर)

*17–डा० सरजीत सिंह डंग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सरकारी सस्ते गल्ले के बिक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने की मांग

*18–श्री रमेश कान्त लवानिया

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले के बिक्रेताओं को कितने रुपये प्रति कुन्तल चीनी बेचने का निर्देश शासन से दिया गया है ? क्या सरकारी सस्ता गल्ला के बिक्रेताओं से सरकार द्वारा ली जाने वाली कीमत भाड़ा व छीजन के रुपये का योग, बेचे जाने वाली कीमत से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बिक्रेताओं का कमीशन बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकारी सस्ता गल्ला बिक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली लेवी चीनी का मूल्य 905 रुपये प्रति कुन्टल अर्थात 9.05प्रति किलो है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही

*19–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार द्वारा नई नियुक्तियां करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय कन्या हाई स्कूल पैडुल व वांसिधाना (द्वारबाल) का उच्चीकरण की मांग

*20–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के राजकीय कन्या हाई स्कूल पैडुल व वांसिधाना (द्वारबाल) का उच्चीकरण करने का सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित मानकों की पूर्ति न होने के कारण ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र औराई के अधूरे सम्पर्क मार्गों को पूरा करने की मांग

1–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के औराई विधान सभा क्षेत्र में कितने सम्पर्क मार्ग हैं तथा वे किन-किन विभागों द्वारा बनाये गये हैं ? उसके लिए किस मद से धन उपलब्ध कराया गया है ? क्या ऐसी भी सड़कें हैं जिनको दो विभागों ने बनवाया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? क्या कोई सम्पर्क मार्ग वहां पर अधूरा है ? यदि हां, तो सरकार उसे पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

औराई विधान सभा क्षेत्र में कुल 160 सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गन्ना विभाग एवं विकास खण्डों द्वारा कराया गया है ।

जवाहर रोजगार योजना, पूर्वांचल विकास निधि तथा जिला योजना के मद से धन उपलब्ध कराया गया है।

जी हां।

1–कन्या प्राइमरी पाठशाला घोसिला से प्राइमरी पाठशाला घोसिला होते हुए ग्राम सभा घोसिला सम्पर्क मार्ग

2–चौरी-गांधी घाट मार्ग

3–लालानगर खमरिया मार्ग

जी हां।

जनपद स्तरीय जिला नियोजना एवं अनुश्रवण समिति के विवेक पर निर्भर है।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में मीनस–अटाल मोटर मार्ग को पूरा करने की मांग

2–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में मीनस–अटाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता स्थित त्यूनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी वाहन एवं एक्सरे का प्राविधान न होना

3–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में त्यूनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस, एक्स-रे प्लाण्ट व शल्य चिकित्सा उपकरण की सम्पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

सामान्य शल्य चिकित्सा हेतु उपकरण उपलब्ध हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी वाहन (एम्बुलेंस) एवं एक्स-रे का प्राविधान नहीं होता है।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में अमत्यार नाम की नहर का न पाया जाना

4–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में अमत्यार नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इस नहर से कितने ग्रामों की कितनी भूमि सिंचित होती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

देहरादून जनपद में चकराता निर्वाचन क्षेत्र में अमत्यार नाम की कोई नहर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित या निर्माणाधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में छात्रों की पढ़ाई सुचारु रूप से चलाने की मांग

5–श्री प्रीतम सिह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय इंटर कालेज, त्यूनी में कक्षा–6 से कक्षा–12 तक के छात्रो के अध्ययन हेतु कितने कक्षों की व्यवस्था है? क्या उपलब्ध कक्षों में छात्रों की पढ़ाई सूचारु रूप से चल रही है ? यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के जिला स्तरीय अस्पतालों में विभिन्न संवर्गों में पदों के सृजन का मानक

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जिला स्तरीय अस्पतालों में वर्ष 1980 में शैय्याओं की कुल संख्या क्या थी ? क्या उनकी संख्या में वर्ष 1993 के दिसम्बर माह तक वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या शासन प्रत्येक जिले के सभी शहरी एवं बड़े चिकित्सालयों में तद्नुसार ही चिकित्सक, परिचारिकाओं, फार्मासिस्टों, लिपिकों तथा स्टोर कीपर कम क्लर्क संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों को बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो कितने रोगियों पर उक्त पदों को आनुपातिक रूप से सृजित होना चाहिए ? सम्प्रति कितने रोगियों के अनुपात में उक्त पद सृजित हैं ? उक्त पद शासन द्वारा उन सभी अस्पतालों के लिए सृजित कब तक कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश के जिला स्तरीय अस्पतालों में वर्ष 1980 में शैय्याओं की कुल संख्या 12,122 थी । दिसम्बर, 1993 तक उनकी संख्या में 2,218 शैय्याओं की वृद्धि की गयी है । प्रदेश के चिकित्सालयों एवं औषधालयों के लिये वर्ष 1986 में शैय्याओं की संख्या के आधार पर कतिपय संवर्गों के पदों का मानक निर्धारित किया गया है । उक्त निर्धारित मानकानुसार जिला योजना के माध्यम से निर्धारित परिव्यय एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पदों के सृजन की कार्यवाही की जाती है । रोगियों की संख्या के आधार पर पद-सृजन का कोई मानक नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत स्टोर कीपर कम क्लर्क संवर्ग के कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की मांग

7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत स्टोर कीपर कम क्लर्क संवर्ग के कर्मचारियों की सेवायें आकस्मिक सेवाओं के अन्तर्गत आती हैं और उन्हें छुट्टी के दिनों में

भी कार्यालय आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को अन्य सभी विभागों के अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के समान एक माह के अतिरिक्त वेतन/पारिश्रमिक दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती मरीजों के भोजन का निरीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ से कराने की मांग

8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दिये जाने वाले भोजन को किसी वरिष्ठ तथा तकनीकी विशेषज्ञ से परीक्षणोपरान्त ही मरीजों में वितरित कराये जाने का शासन से प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में शासन के उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो वहां पर मरीजों को दिये जा रहे भोजन का पूर्व परीक्षण कौन करता है ? क्या यह भी सच है कि वर्ष 1989 से सेवा में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञ से उन मरीजों के भोजन की थाल परोस कर लाकर दिखाया नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्यक् विचारोपरान्त संस्थान द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मरीजों को चिकित्सक की सलाह पर भोजन दिया जाता है । डाइट का निर्धारण संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है । चिकित्सकों द्वारा डाइट की टेस्टिंग की जाती है ।

जी हां ।

चूंकि संस्थान एक वृहद् चिकित्सालय है जहां पर मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है अतः प्रत्येक मरीज के भोजन थाल का निरीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है । ऐसा करने से तकनीकी विशेषज्ञ का पूरा समय इसी कार्य पर लग जायेगा एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिये विशेषज्ञों के परामर्श की आवश्यकता होती है, वे अधूरे रह जायेंगे ।

विधान सभा क्षेत्र हड़हा, जनपद उन्नाव में ब्लाक नवाबगंज के ग्राम कोटवा में किसी राजकीय ट्यूबवेल का स्थापित न होना

9–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के ग्राम कोटवा, ब्लाक नवाबगंज में किसानों की सिंचाई हेतु दो साल पूर्व ट्यूबवेल लगाया गया था ? यदि हां,

तो क्या यह सही है कि अभी भी किसानों को उसका लाभ नहीं मिला ? यदि किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम कोटवा में दो साल पूर्व कोई राजकीय ट्यूबवेल नहीं लगाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव स्थित उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय सुविधा हेतु अधिकारियों को निर्देश

10–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं, दवा का अभाव, डाक्टरों का मरीजों से दुर्व्यवहार किये जाने आदि का सुधार शासन द्वारा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय, उन्नाव तथा महिला चिकित्सालय, उन्नाव का निदेशक, (चिकित्सा) द्वारा दिनांक 18-10-93 एवं 31-1-1994 को निरीक्षण किया गया । इस निरीक्षण में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पायी गयी और न ही रोगियों द्वारा दवाओं के अभाव अथवा डाक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई । चिकित्सीय सुविधाओं को सुलभ बनाये रखने हेतु निदेशक (चिकित्सा) द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक तथा चिकित्सालय के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद गुलाटी मार्ग पर ग्राम कोटा में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव नहीं

11–श्री डी० पी० यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद गुलाटी मार्ग पर ग्राम कोटा के समीप खाली पड़ी हुई एल० एम० सी० की भूमि पर ग्रामीण खेलों के स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर स्टेडियम बनाने की स्वीकृति प्रदान करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

इस संबंध में कोई प्रस्ताव ही नहीं है ।

बुन्देलखण्ड स्थित सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य धन की उपलब्धता पर कार्य की सम्भावना

12–श्री डी० पी० यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड में पूर्व में ही सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त परियोजनाओं पर कार्य होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

परियोजनाओं पर कार्य किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया खुटार स्थित प्रा० स्वा० केन्द्र को उच्चीकृत करने की मांग

13–श्री चेतराम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया खुटार, जनपद शाहजहांपुर में एक प्रा० स्वा० केन्द्र उच्चीकृत किये जाने हेतु शासन ने स्वीकृति दे दी थी ? यदि हां, तो उक्त पी० एच० सी० उच्चीकृत किये जाने हेतु कितनी धनराशि शासन स्तर से स्वीकृति की गयी थी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् के लिपिकीय संवर्गीय में आरक्षित पद की पूर्ति की कार्यवाही

14–श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री अक्षयवर भारती तथा श्री महबूब अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् में विभिन्न श्रेणी के अलग-अलग कितने पद विद्यमान हैं ? उनमें से प्रत्येक श्रेणी के पदों परअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है ? यह प्रतिनिधि कम है, तो इसे पूर्ण करने की दिशा में राष्ट्रीय एकीकरण/कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निर्धारित रोस्टर के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद् में विभिन्न श्रेणी के सृजित पदों एवं प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व के प्रतिशत आदि का <u>विवरण संलग्नक में अवलोकनीय है ।</u>

परिषद् में कार्मिक विभाग से प्राप्त राय के अनुसार 4 पदों वाले संवर्ग में आरक्षण नहीं बनता है । परिषद् के मूल अधिष्ठान के केवल लिपिकीय संवर्ग में आरक्षित एक पद जो रिक्त है, की पूर्ति नियमानुसार चयन के समय कर ली जायेगी ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 102-103 पर)

जनपद बदायूं के विकास खण्ड उसांवा के अन्तर्गत वर्णित ग्रामों के ग्राम प्रधानों को जवाहर रोजगार योजना में देय धनराशि के दुरुपयोग की जांच

15–श्री बनवारी सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं अन्तर्गत विकास खण्ड उसांवा के ग्राम सभा रेजोला, लिलवां, खजुरानगला, कमलैयापुर बारीखेड़ा व ब्लाक कादरचौक के ग्राम सभा लवारी व भोजपुर, मुहम्मदगंज के ग्राम प्रधानों को वर्ष 1989-90 से वर्ष 1993 के दिसम्बर तक जवाहर रोजगार

योजना व अन्य मदों में कितना पैसा ग्राम प्रधानों को मिला है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधानों द्वारा उक्त पैसा का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी पाये गये प्रधानों को दण्डित करेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना–कुड़वार स्थित जायसवाल फर्टिलाइजर प्रोप्राइटर रामचन्दर जायसवाल द्वारा यूरिया उर्वरक को निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने पर कार्यवाही

16–श्री तेजभान सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक 2826/29 खाद्य–7-1893, दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें न दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं ? क्या जनपद सुल्तानपुर को 20-1-93 थाना कुड़वार अन्तर्गत जायसवाल फर्टिलाइजर प्रोप्राइटर–रामचन्दर जायसवाल के विरुद्ध कृषि अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ? क्या उक्त मामले की जांच कराकर क्या कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

दिनांक 20-1-93 को नहीं, बल्कि दिनांक 20-1-94 को आकस्मिक निरीक्षण के मध्य कृषकों की शिकायत पर मै० जायसवाल फर्टिलाइजर प्रोप्राइटर रामचन्द्र जायसवाल को यूरिया उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने का दोषी पाये जाने पर उत्तेजित कृषकों के मध्य विषप परिस्थितियों में यह प्राथमिकी रिपोर्ट दिनांक 20-1-94 को दर्ज कराई गयी थी । प्राथमिकी की प्रति अपठनीय है । अतएव जिला कृषि अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 20-1-94 को थानाध्यक्ष, कुड़वार, सुल्तापुर को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु सम्बोधित पत्र की छाया प्रति संलग्न है । †

दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 के उक्त शासनादेश में अंकित निर्देशों का अनुश्रवण करते हुए लिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही स्थगित कराकर अन्तिम रिपोर्ट लगवा दी गयी है एवं प्रकरण में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त संस्था का निबंधन प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया है ।

वर्णित परिस्थितियों में की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील गौरीगंज में गुलालपुर ड्रेन की खुदाई पर व्यय धनराशि

17–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील गौरीगंज में गुलालपुर ड्रेन की खुदाई कब की गयी है तथा इस वर्ष 91-92 व 92-93 में कितना धन खर्च किया ? क्या इससे सेवईहेमगढ़, खखरदेई, महापुर, नीमी परशरामपुर आदि ग्रामों की कितनी भूमि जलमग्न रहती है ? क्या सरकार इस ड्रेन की खोदाई हेतु कोई आदेश विभाग को देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री मुलायम सिंह यांदव–

गुलालपुर ड्रेन की खुदाई वर्ष 1985-86 में की गयी है ।

गुलालपुर ड्रेन के अनुरक्षण पर वर्ष 1991-92 में रुपया 57,585.00 एवं वर्ष 1992-93 में रु० 19,948 का व्यय किया गया है ।

इन ग्रामों में लगभग 104 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है ।

ड्रेन की खुदाई का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रान्तीय विकास दल को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने की मांग

18–श्री महेन्द्र सिह माहरा–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय विकास दल को प्रान्तीय रक्षा दल के समान सुविधा देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

, जी नहीं ।

क्योंकि प्रान्तीय रक्षक दल का नाम ही 1971 में बदल कर प्रादेशिक विकास दल किया गया है ।

19–श्री ओम प्रकाश सिंह–

[स्पस्टीकरण हेतु हटाया गया]

राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य डा० श्रीराम चतुर्वेदी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

20–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० श्रीराम चतुर्वेदी पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के विरुद्ध दिनांक 24-1-90 से लेकर आज तक कुल कितनी और किस-किस व्यक्ति के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? इन शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोपों के संबंध में प्रारम्भिक जांच आख्या प्राचार्य स्तर से कब प्राप्त हुई थी ? क्या इस जांच आख्या पर शासन ने डा० श्रीराम चतुर्वेदी के विरुद्ध सी० सी० ए० नियम 55 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या डा० श्रीराम चतुर्वेदी को सी० सी० ए० नियम–49-ए तद्विषयक शासनादेश सं० 18/4/1976-कार्मिक–1, दिनांक 30-10-76 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर निलम्बित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

कुल 5 शिकायती पत्र क्रमशः

(1) श्री अजय कुमार अग्रवाल

(2) श्री मुस्तफा तारिक

(3) श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता

(4) श्री प्रभु दयाल यादव

(5) कर्मचारी राजकीय होम्यो० कालेज, कानपुर का संयुक्त शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

प्रारम्भिक जांच निदेशक को प्राचार्य ने पत्र सं० टी०–157/रा० का० हो० मे० का०/79-80-91 दिनांक 27-4-91 द्वारा उपलब्ध कराया था ।

जी नहीं, क्योंकि प्राचार्य की उक्त जांच आख्या एवं डा० आर० सी० श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (हो० कालेज) की जांच आख्या एवं उपरोक्त शिकायती-पत्रों पर जांच किये जाने हेतु डा० पी० एन० वर्मा, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर को शासन के पत्र संख्या–74–सेक–15/पांच–92–7/91, दिनांक 2-3-92 द्वारा निर्देश दिये गये थे, जो डा० द्वारा जांचोपरान्त शासन को पत्र संख्या 92/शिकायत जांच/, दिनांक 5-8-92 द्वारा उपलब्ध कराया गया था । तत्पश्चात उक्त जांच आख्या पर निदेशक होम्यो० से आख्या मांगी गयी थी, जो शासन को दिनांक 1-3-94 को प्राप्त हो चुकी है । उक्त जांच आख्या पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

इस संबंध में शासनादेश संख्या 18/4/1976–कार्मिक–1, दिनांक 30-10-76 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा की नहरों की सिल्ट सिंचाई पर व्यय धनराशि का विवरण

21–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में वर्ष 1992-93 व 93-94 में नहरों की सिल्ट सफाई हेतु कितना धन सिंचाई विभाग से व कितना धन डी० आर० डी० ए०/10 लाख कुआं योजना से प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उन्नाव जिले में किसी भी नहर की सिल्ट सफाई नहीं हुई है ? क्या सरकार पुरवा विधान सभा क्षेत्र की नहरों की सिल्ट सफाई न कराये जाने की जांच प्राविधिक जांच प्रकोष्ठ से करवायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नहरों का अनुरक्षण खण्डवार होता है । खण्ड की सीमाएं एक से अधिक जिले में भी होती हैं । नहरों की सफाई पर व्यय प्राथमिकता/आवश्यकतानुसार किया गया । चारों खण्डों को अनुरक्षण मद में 92-93 में रु० 157.8 लाख तथा 93-94 में रु० 152.67 लाख धन उपलब्ध हुआ जिसके अन्तर्गत नहरों की सिल्ट सफाई तथा तटों का सुदृढ़ीकरण, पक्के कार्यों की मरम्मत खांदी व कटिंग बन्द कराना बन्धे व जंगल सफाई आदि जल प्रवाह में अवरोध हटाना, आवासीय व अनावासीय भवनों का रख रखाव, वाहनों की मरम्मत व रख-रखाव तथा कार्य प्रभारित व दैनिक श्रमिकों को भुगतान आदि विधिक कार्य किये गये । डी० आर० डी० ए०/10 लाख कुआं योजना में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई ।

उन्नाव जनपद में वर्ष 92-93 में 1554 कि०मी० की नहरों में से 600.8 कि०मी० की तथा 93-94 में 727.00 कि०मी० नहरों की सफाई हुई । मा० विधायक महोदय विस्तृत सूचना मा० मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं । उपरोक्तानुसार नहरों की सफाई की गयी । आवश्यकता नहीं है ।

लखनऊ मण्डल में कार्यरत पी० एच० एन० ट्यूटर को संशोधित वेतनमान स्वीकृत किये जाने का विचाराधीन प्रकरण

22–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समता समिति की संस्तुतियों के आधार पर प्रादेशिक उपचारिका संवर्ग में पी० एच० एन० ट्यूटर के पुराने वेतनमान 1600–2600 के स्थान पर नये वेतनमान 2000–3200 के वेतनमान आदेश सं० 416/5-13-93-जी-25/88, चिकित्सा अनुभाग–13 द्वारा अनुमन्य किये गये हैं ?क्या उक्त पुनरीक्षित वेतनमान लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत समकक्ष पदधारकों को अभी तक अनुमन्य नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो लखनऊ मण्डल में कार्यरत पी० एच० एन० ट्यूटर को पुनरीक्षित वेतनमान 2000–3200 अनुमन्य न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी समकक्ष पदधारकों को उपरोक्त संशोधित वेतनमान अनुमन्य करने के आदेश करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

मातृ एवं शिशु कल्याण निदेशालय में कार्यरत पी० एच० एन०/ट्यूटर को प्रश्नगत वेतनमान स्वीकृत किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

जनपद जालौन के भवनहीन स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की मांग

23–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो भवनविहीन हैं ? क्या ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु कोई योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवनों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जिला जालौन के निम्नलिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन विहीन हैं :—

1–हरदोईगूजर, 2–अजीतपुर, 3–आटा, 4–सिरसाकलार, 5–सोमई, 6–गोवर्धनपुरा, 7–सदुपुरा, 8–रेढर, 9–नावली, 10–ऐर, 11–मडोरी, 12–गोपालपुरा, 13–गोहन, 14–सरावन, 15–नावर, 16–नरौल, 17–पतराही, 18–शहजादपुरा, 19–वीरपुरा, 20–उरगांव, 21–शेखपुर बुजुर्ग, 22–चुर्खी, 23–नयामतपुर, 24–परासन, 25–ऊदनपुर, 26–छींक, 27–धनतौली, 28–एट, 29–कोटरा, 30–रूरा अड्डा, 31–मगरौल, 32–घंगरा, 33–महेवा, 34–सिरसदोगढ़ी, 35–दिरावटी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण जिला सेक्टर की योजना है। जिलों द्वारा जिला योजना में प्रति वर्ष धन उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित स्थानों के नाम प्राप्त होने पर शासन स्तर से निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार अवशेष भवनों के संबंध में जिला योजना से धन एवं अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथा समय निर्माण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

24–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

[5वें गुरु में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ में नव निर्मित नलकूपों एवं नालियों को पूरा कराने की मांग

25–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के सीखड़ विकास खण्ड में कितने नलकूप निर्माणाधीन हैं और कितने 1991 से अब तक निर्मित हो चुके हैं ? निर्माणाधीन नलकूप कब तक निर्मित होकर चालू हो जायेंगे ? क्या मेड़िया गांव में नवनिर्मित नलकूप की नाली पूरी नहीं हुई है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र मंत्री जी को 28-29 जनवरी, 1994 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मिर्जापुर के सीखड़ विकास खण्ड के अन्तर्गत 8 राजकीय नलकूप निर्माणाधीन हैं।

वर्ष 1991 से अब तक 8 नलकूप छिद्रित हो चुके हैं।

उक्त निर्माणाधीन नलकूप वर्ष 1994-95 में चालू कराने का कार्यक्रम है।

जी हां।

जी हां।

पत्र में की गई वांछनानुसार ग्राम भेड़िया में छिद्रित नलकूप के कमांड का पुनः परीक्षण करके इस ग्राम के दक्षिणी भाग के अवशेष खाली क्षेत्र को इस नलकूप कमांड में सम्मिलित करने की कार्यवाही की गयी है।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने की मांग

26–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों में कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें से कितने कर्मचारी राजकीय सेवा हेतु निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं ? क्या ऐसे दैनिक वेतन कर्मचारी को जिन्होंने लगातार तीन वर्ष एवं प्रतिवर्ष 240 दिन तक कार्य किया है, शासन की नीति के अनुसार पदों को सृजित करते हुये विनियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

65

प्रदेश के समस्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 25 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दिनांक 1-1-94 को निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। इसमें यह उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद स्थित होम्योपैथिक कालेज के एक कर्मचारी की सूचना अनुपलब्ध है। प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को विनियमित किये जाने सम्बन्धी न तो कोई शासनादेश है और न इस प्रकार की कोई शासन की नीति ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर स्थित मेडिकल कालेजों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कर्फ्यू अवधि का वेतन दिये जाने की मांग

27–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्फ्यू अवधि का वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में निदेशक होम्योपैथिक को शासनादेश संख्या 542 सेक–15/पांच–91/80/91, दिनांक 19-4-91 तथा प्राचार्य, राजकीय कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर का पृष्ठांकन पत्र संख्या 164/रा०का०हो०- मे०का०/45/91, दिनांक 30-4-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूर्णकालिक कमचारियों को कर्फ्यू अवधि के दौरान विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए पूरे माह का वेतन प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग ने राजाज्ञा जारी की है ? यदि हां, तो क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी कर्फ्यू अवधि का वेतन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

कर्फ्यू अवधि का दैनिक वेतन, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उक्त कर्फ्यू अवधि के लिये कोई राजाज्ञा जारी नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन दिनों में वास्तविक रूप से कार्य करते हैं उन दिनों के ही वेतन के अधिकारी होते हैं ।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक अखण्डनगर के अन्तर्गत धर्मापुर ड्रेन की खुदाई की जानकारी

28–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर अन्तर्गत धर्मापुर ड्रेन (ब्लाक अखण्डनगर) को वर्ष 91-92 व 92-93 में कोई धन मिलियन वेल्स स्कीम अन्तर्गत जिलाधिकारी ने प्राप्त कराया था ? यदि हां, तो इस धन से क्या खोदाई करायी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह धन अब भी विभाग में पड़ा है ? यदि हां, तो अब तक खोदाई न कराने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस धन के खर्च न करने के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी कौन-कौन हैं ? इन्हें क्या कोई दण्ड दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, वर्ष 92-93 में धर्मापुर ड्रेन के गहरीकरण कार्य हेतु रु० 9.00 लाख की धनराशि माह 11/92 में प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में नाले में खुदाई कार्य सम्भव नहीं था । फलस्वरूप जिलाधिकारी द्वारा धनराशि वापस ले ली गयी ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर से पुनः धन न प्राप्त होने के कारण खुदाई नहीं करायी जा सकी ।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र उसेहत के अन्तर्गत खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

29–श्री बनवारी सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र उसेहत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के लगे नलकूप कितने खराब हैं और कितने सही ढंग से चल रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए खराब नलकूपों को तत्काल ठीक कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा के उसेहत में 143 नलकूप हैं जिसमें से 137 चलित नलकूप हैं तथा 6 स्थायी रूप से खराब हैं ।

स्थायी रूप से खराब नलकूपों को ठीक करने का कार्य जनपद योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत होने पर ही होता है ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड दुदही में वर्ष 1991-92 में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

30–श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड दुदही में सन् 1991-92 में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी कोई जांच कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया द्वारा की जा रही है ? यदि जांच चल रही है, तो कब से ? क्या जांच कार्यवाही पूरी हो चुकी है ? यदि जांच पूरी नहीं हुई है, तो कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया की तहसील तमकुही राज के ग्राम सभा पिपराघाट के कटाव को रोकने की मांग

31–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील तमकुही राज में ग्राम सभा पिपराघाट नरायनी नदी के कटाव से क्षतिग्रस्त हुआ है ? कटान से कितने एकड़ जमीन दी में विलीन हुई हैं ? नदी व गांव के बीच कितने मीटर का अन्तराल रह गया है ? सरकार द्वारा इस कटाव को रोकने के लिये क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ग्राम सभा पिपराघाट के एक छोटा सा टोला "गोबरही टोला" का कुछ क्षेत्र कटान से प्रभावित हुआ है ।

पिपरा घाट ग्राम बांसी नदी व नरायनी (गण्डक) नदी के बीच में है ।

फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

जनपद देवरिया की तहसील तमकुही राज में स्थित ए०पी० तटबन्ध को सुरक्षित रखने की योजना की स्वीकृति न होना

32–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील तमकुही राज में स्थित ए० पी० तटबन्ध को सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च हो रहा है ? कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रस्तावित योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है ।

जनपद कानपुर स्थित मण्डी समिति के भवन निर्माण का प्रकरण

33–श्री जगराम सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, कानपुर का भवन निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें दुकानें आवंटित हैं ?यदि हां, तो क्या मण्डी समिति अपने भवन में कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव की तहसील व परगना पुरवा की ग्राम सभा रामाअमरापुर को वर्ष 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि का विवरण एवं जांच

34–श्री प्रणत पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव तहसील व परगना पुरवा की ग्राम सभा रामाअमरापुर को वर्ष 1993-94 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा कितनी धनराशि ग्राम प्रधान के पास शेष है ? क्या कृत कार्यों की जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी ? यदि हां, तो उस अधिकारी का नाम एवं पता क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा रामाअमरापुर को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 तक मु० 1,35.807.00 रुपया उपलब्ध कराया गया है ।

निम्न विवरण अनुसार विभिन्न मदों में धन व्यय किया गया हैं :–

1–सम्पर्क मार्ग पर	रु० 40,883/-
2–खड़ंजा निर्माण पर	रु० 35,927/-
3–पुलिया	रु० 12,960/-
4–कूप निर्माण	रु० 27,233/-
5–निर्बल वर्ग आवास	रु० 8,371/-
6–नाला खुदाई	रु० 5,616/-
7–प्रशासनिक व्यय	रु० 430/-
	कुल योग– 1,31,420/-

प्रधान के जवाहर रोजगार योजना के खाते में दिनांक 8-3-94 को मु० 4.698/- रुपया अवशेष है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा की स्थित नहरों की सफाई तथा सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता

35–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सिंचाई मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद उन्नाव की सभी नहरों की विशेषकर चुनाव क्षेत्र हड़हा क्षेत्र में विधिवत् सफाई नहीं की गयी है, जिससे रबी की फसल में सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल सका है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जन प्रतितिधियों की बैठक,जो दीन दयाल सिंचाई बन्धु की होती थी, जिसमें समस्याओं पर विचार होता था, वह भी नहीं हुयी हैं ? यदि हां, तो कब तक बैठक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, आवश्यकतानुसार सफाई की गई है। रबी की सिचाई हेतु पानी उपलब्धता अनुसार मिल रहा है।

बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को होती है। सिर्फ माह जनवरी 94 में विशेष कारणवश नहीं हो सकी।

प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को बैठक निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एम० एस० की परीक्षाओं में अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन की जांच

36–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री अरिमर्दन सिंह तथा श्री मन्नू लाल कुरील–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एम० एस० की परीक्षा अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन कर कराये जाने के सम्बन्ध मे अ०शा० पत्र 43(3) दिनांक 17-1-94 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है। आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण की योजना को पूर्ण कराये जाने की मांग

37–श्री डी० पी० यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ०प्र० में ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना जो विश्व बैंक से पोषित है और जिस पर पक्की नहर बनाने की स्वीकृति है, आधा कार्य हो जाने के उपरान्त विगत सरकार द्वारा उस कार्य को बन्द कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्यों को तत्काल पूरा कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

कार्य का पूर्ण होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

38–श्री बाबू राम वर्मा–

[4थे मंगल मे अता० प्र० सं० 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के जनपदों में कृषि रक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

39–श्री बाबूराम वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश के कितने जनपद में कृषि रक्षा अधिकारी का पद रिक्त है और कितने समय से ? क्या शासन रिक्त जनपदों में कृषि रक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में निम्नांकित 11 जनपदों में कृषि रक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं :–

क्रमांक	जनपद	रिक्ति की तिथि
1–	ललितपुर	10-10-80
2–	रामपुर	1-11-88
3–	बिजनौर	अगस्त, 1989
4–	गाजियाबाद	1-6-90
5–	हमीरपुर	24-8-90
6–	उन्नाव	1-2-92
7–	शाहजहांपुर	6-7-92
8–	प्रतापगढ़	16-7-93
9–	मथुरा	18-7-93
10–	बुलन्दशहर	21-12-93
11–	अलीगढ़	20-2-94

कृषि रक्षा अधिकारी के पदों पर 50:50 के अनुपात में उ०प्र० लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती/प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं । इसमें समय लगना स्वभाविक है ।

नव सृजित जनपदों में कृषि रक्षा अधिकारी के पदों को सृजित करने की मांग

40–श्री बाबू राम वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ, सोनभद्र, फिरोजाबाद, हरिद्वार एवं कानपुर देहात में अभी तक कृषि रक्षा अधिकारी का पद सृजित नहीं

किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में कृषि रक्षा अधिकारी का पद सृजित करने के सम्बन्ध मे शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विभागाध्यक्ष के कतिपय सूचनायें मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा के विधायक के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा पत्रवाहक पद के चयन को निरस्त किया जाना

41–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि मछरेहटा क्षेत्र के विधायक का पत्रांक–बसपा शि/12/93. दिनांक 30-12-93 का पत्र जो जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर में पत्रवाहक के पद पर की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा दिनांक 4-2-94 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो उसका क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री बाल गोविन्द राजवंशी, विधायक मछरेहटा क्षेत्र का पत्रांक बसपा–शि/12/93, दिनांक 30-12-93 जिलाधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ था । इस पर जांच की गई और सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण प्रश्नगत चयन परीक्षणोपरान्त दिनांक 7-1-94 को निरस्त कर दिया गया ।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा के अन्तर्गत खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

42–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा मछरेहटा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों के कृषकों का सिंचाई हेतु जो ट्यूबवेल निर्मित किये गये हैं, वर्ष 1992-93 में कितने ट्यूबवेल चालू हालत में हैं ? क्या यह सही है कि उक्त ट्यूबवेलों से सही समय पर कृषकों को पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर बिगड़े हुये ट्यूबवेलों को शीघ्र ही ठीक कराकर कृषकों को पानी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1992-93 में विधान सभा मछरेहटा क्षेत्र के अन्तर्गत 114 राजकीय नलकूप चालू हालत में थे तथा एक नलकूप फेल था ।

उक्त नलकूपों से कृषकों को विद्युत आपूर्ति के अनुसार सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के ब्लाक मछरेहटा एवं गोदलामऊ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण एवं बिजली, पानी की व्यवस्था

43–श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा के अन्तर्गत पड़ने वाले ब्लाकों में चिकित्सा हेतु जो भवन उपलब्ध कराये गये हैं, क्या उनमें बिजली एवं पानी की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी जांच कराकर शीघ्र अपूर्ण भवनों को पूरा कराकर पानी एवं बिजली की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?.

श्री बलराम यादव–

विधान सभा क्षेत्र मछरेहटा के अन्तर्गत दो ब्लाक मछरेहटा एवं गोदलामऊ में चिकित्सा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराया गया । मछरेहटा में बिजली एवं पानी की व्यवस्था उपलब्ध है । गोदलामऊ में पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल एवं टंकी निर्मित है, किन्तु बिजली के कनेक्शन के अभाव में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है । बिजली कनेक्शन हेतु आवश्यक आगणन उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् वितरण खण्ड सीतापुर से मांगा गया है, प्राप्त होने पर विद्युत कनेक्शन शीघ्र कराना सम्भव होगा । वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोदलामऊ में जलापूर्ति हेतु हैण्ड पम्प उपलब्ध है ।

44–श्री हृदय नारायण–

[3सरे गुरुवार में अता० प्र० सं० 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई की टाउन एरिया–कुरसठ के कृषि रक्षा इकाई एवं सीड स्टोर के भवन का सम्बन्धित कार्यों हेतु उपयोग का मामला

45–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ में कृषि रक्षा इकाई एवं सीड स्टोर की इमारतें खड़ी हैं किन्तु उनका उपयोग कृषि रक्षा कार्यों तथा बीज आदि रखने में नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो इनका उपयोग सम्बन्धित कार्यों के लिये कब शुरू करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, किन्तु विकास खण्ड माधोगंज के मुख्यालय माधोगंज में एक राजकीय बीज भण्डार राजकीय भवन में कार्यरत है । अतः शासन की वर्तमान नीति के अनुसार कृषि रक्षा इकाई एवं सीड स्टोर कुरसठ के भवन का उपयोग कृषि रक्षा कार्यों एवं बीज आदि रखने में नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री राम आसरे वर्मा–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं० 35 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम भदौरा तरछापार में स्थित स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण उपकेन्द्र में स्टाफ तथा दवा देने की मांग

47–श्री छोटे लाल यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया अन्तर्गत विकास खण्ड सीयर के ग्राम भदौरा तरछापार में स्थित छोटा चिकित्सालय, जच्चा बच्चा केन्द्र काफी दिनों से खुला है, परन्तु वहां केवल एक मिडवाइफ ही नियुक्त है ? क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को सही दवा व स्टाफ कर्मचारी दिये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम तरछापार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्र स्थापित है । उपकेन्द्र के लिए स्वीकृत पदों के अनुरूप वहां एक मिडवाइफ तथा एक अंशकालिक दाई कार्यरत है । मानक के अनुसार ही वहां पर समुचित मात्रा में दवाओं का स्टाफ भी उपलब्ध रहता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिग्टनगंज के ग्राम–अछोरा में वर्ष 1991–94 के दौरान चालू नलकूपों का विवरण

48–श्री मित्रसेन यादव–

कृपया ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० क्षेत्र हरिग्टनगंज, फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित ग्राम अछोरा में वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार कितनी-कितनी निःशुल्क बोरिंग करायी गयी है तथा कौन-कौन से लोग लाभान्वित हुये हैं ? क्या यह सभी नलकूप वर्तमान समय में चालू हालत में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

विकास क्षेत्र हरिग्टनगंज फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित ग्राम अछौरा मे लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 1991-92 में 12, 1992-93 में 8 तथा 1993-94 में माह फरवरी, 94 तक 5 निःशुल्क बोरिंग करायी गई हैं । सम्बन्धित लाभार्थियों की सूची संलग्न है ।

पांच के अतिरिक्त सभी वर्तमान समय में चालू हैं । दो पर पम्पसेटों का विद्युतीकरण अवशेष है तथा तीन पर कृषकों द्वारा डीजल पम्पसेट नहीं लगाये गये हैं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 104–106 पर)

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिग्टनगंज के ग्राम अछोरा में वर्ष 1991–94 के दौरान शौचालय निर्माण हेतु अनुदान न दिया जाना

49–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि० क्षेत्र हरिग्टनगंज, फैजाबाद स्थित ग्राम अछोरा में वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में उक्त ग्राम में किन-किन लोगों को शौचालय सुविधा निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है ? क्या यह सही है कि शौचालय सुविधा अनुदान एक ही परिवार के लोगों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

विकास खण्ड हरिग्टनगंज, फैजाबाद स्थित ग्राम अछोरा में वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में शौचालय सुविधा निर्माण हेतु किसी को अनुदान नहीं दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम-बबुरा को गंगा नदी के कटाव से रोकने की व्यवस्था

50–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जनपद का बबुरा गांव नदी के कटान के कारण असुरक्षित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के जन-धन को क्षति से बचाने के लिए कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? उस पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत ग्राम बबुरा को नदी के कटाव से सुरक्षित करने हेतु विगत वर्षों में 450 मीटर की लम्बाई में सुरक्षात्मक कार्य करवा कर कटाव रोकने की व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित सतपुली-दुधार खाल मोटर मार्ग पर गवाणा के समीप पुनरीक्षित आगणन के उपरान्त गार्डर पुल की स्वीकृति की कार्यवाही

51–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल स्थित सतपुली-दुधार खाल मोटर मार्ग पर गवाणा के समीप एक गार्डर पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या यह पुल निर्माणाधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

पुल की लम्बाई/लागत बढ़ जाने के कारण प्राप्त पुनरीक्षित आगणन की कतिपय शंकाओं का समाधान हो जाने के बाद स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद लखनऊ स्थित जवाहर भवन के शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना में आडीटर के पदों पर नियुक्ति न किया जाना

52–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना जवाहर भवन, लखनऊ में आडीटर के रिक्त पदों को आरक्षित श्रेणी के बी० काम० शैक्षिक योग्यता प्राप्त विभागीय कर्मचारियों से भरे जाने का मामला वर्ष 1992 से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां । शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना में आवश्यकता से अधिक सम्प्रेक्षक उपलब्ध हैं । अतः प्रश्नगत पदों पर किसी प्रकार की नियुक्तियों या विभागीय कर्मचारियों द्वारा भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा में सड़कें बनाने की मांग

53–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में मण्डी परिषद् की मण्डियों खासकर विधान सभा क्षेत्र हड़हा जो भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा है, के कृषकों को सामान लाने के लिए कितनी सड़कें दी गयी हैं ? यदि नहीं दी गयी है, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड नारायणपुर के ग्राम बघेड़ी के समीप नदी पर निर्मित रपटा की जांच

54–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बघेड़ी, विकास खण्ड नारायणपुर, जिला मिर्जापुर के पास नदी पर एक रपटा का निर्माण डी० आर० डी० ए० आदि मदों के पैसे से पिछले वर्षों में हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि निर्माण प्रस्तावित व स्वीकृत माप, मानक एवं मूल्य के अनुसार हुआ है ? क्या प्रस्तावित एवं अनुबन्धित ऊंचाई व डिजाइन से कम ऊंचाई व त्रुटिपूर्ण आकार का कमजोर बनाया गया है ? क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे ? इस रपटा का निर्माण किस एजेन्सी से कराया गया तथा इस पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वरिष्ठ औषधि निरीक्षक एवं औषधि निरीक्षक के औषधि अनुज्ञापन सम्बन्धी अधिकार का प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन

55–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रग एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट, 1940 एण्ड रूल्स 1945 के नियम 49-ए के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी औषधि अनुज्ञापन अधिकारी की अर्हता नहीं रखते फिर भी इसका अधिकार उन्हें दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि वरिष्ठ औषधि निरीक्षक एवं औषधि निरीक्षक इसके लिए अर्ह होते हुए भी इस अधिकार से वंचित रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

श्रीमती गोविन्दा उर्फ जगरानी पत्नी स्व० राम नाथ वर्मा अवर अभियन्ता सिंचाई बाढ़ प्रखण्ड को पारिवारिक पेंशन के भुगतान की मांग

56–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा अग्रसारित श्रीमती गोविन्दा उर्फ जगरानी पत्नी स्व० राम नाथ वर्मा, अवर अभियन्ता, सिंचाई बाढ़ प्रखण्ड, गोण्डा का दिनांक 25-1-94 का कोई पत्र मृत्योपरान्त शासनादेश के तहत पारिवारिक पेंशन आदि भुगतान के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हें शीघ्र पेंशन आदि का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कानपुर देहात में टेल तक पानी जाने वाले नहरों का विवरण

57–श्री राकेश सचान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की कितनी नहरों में पानी टेल तक पहुंच रहा है और उनका नाम क्या है ? क्या जिन नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उनमें टेल तक पानी दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद कानपुर देहात की कुल 212 टेलों में 201 नहरों की टेलों पर पांनी पहुंच रहा है जिन 201 नहरों की टेलों पर पानी पहुंचा है उनकी सूची मा० विधायक महोदय, मा० मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं ।

नहर के ऊपरी भागों में पानी की अपेक्षाकृत अधिक खपत होने के कारण पानी की कमी के फलस्वरूप इन 11 नहरों की टेल तक पानी पहुंचना सम्भव नहीं हो सका है ।

जल की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

58–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

[विभिन्न विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद खीरी के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्डों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण

59–श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं का वितरण राशन कार्डों के आधार पर या लेखपालों द्वारा तैयार किये गये रजिस्टरों में अंकित नामों के आधार पर किया जा रहा है ? क्या राशन कार्डों के आधार पर जनपद खीरी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या एक क्षेत्र में जितने यूनिट होते हैं उतने यूनिटों के अनुसार आवश्यक वस्तुयें राशन कार्ड की दुकानों पर उपलब्ध करायी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार राशन कार्डों के आधार पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं का वितरण राशन कार्डों पर किया जाता है । जनपद खीरी में भी राशन कार्डों पर वितरण किया जा रहा है । प्रदेश में लगभग 11 करोड़ यूनिट प्रचलित हैं जिसके लिए गेहूं, चावल, चीनी एवं मिट्टी का तेल की आवश्यकता प्रतिमाह कुल 8.80 लाख मै० टन गेहूं और 6.6 लाख मै० टन चावल, 60,000 मै० टन चीनी एवं 1.60 लाख कि०ली० मिट्टी के तेल की होती है । जिसके विपरीत आवंटन क्रमशः गेहूं 20 से 75,000 टन, चावल 20 से 40,000 टन, चीनी 55,572 टन और मिट्टी का तेल एक लाख कि०ली० ही मिल पाता है । आवश्यकता के विपरीत इस सीमित आवंटन को देखते हुए वर्तमान उपलब्धता के आधार पर ही आवश्यक वस्तुयें राशन कार्ड पर उपलब्ध करायी जाती हैं ।

जनपद खीरी के विकास खण्ड ईसानगर में चौरा से गैसापुर तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय की जांच

60-श्री यशपाल चौधरी तथा श्री मुख्तार अनीस-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में जिला योजना के तहत चौरा से गैसापुर विकास खण्ड ईसानगर तहसील धौरहरा में 3,000 मीटर सड़क बनानी स्वीकृत हुई थी ? क्या इसके लिए एक लाख बीस हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी ? जबकि केवल 1900 मीटर सड़क का निर्माण हुआ ? क्या पूरा धन निकाल लिया गया जबकि अवर अभियन्ता (आर० ई० एस०) द्वारा की गयी एम० बी० से केवल 74,000 रुपये की ही लागत आंकी गयी है ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार हैं ? क्या ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? शेष 1,100 मीटर सड़क कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबद के विकास खण्ड हरिग्टनगंज के ग्राम सराय मजरा में स्थित नलकूप के सिंचन क्षमता तथा नलकूप चालक की जानकारी

61-श्री मित्रसेन यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या 218 वी० जी० स्थित ग्राम सराय मजरा,वि० क्षेत्र हरिग्टनगंज, फैजाबाद में अगस्त, 1992 से अब तक अंशकालिक नलकूप चालक के पद पर कौन कार्य कर रहा है और विभागीय अभिलेखों, विकास तालिका, पाक्षिक सिंचाई प्रगति रिपोर्ट, साप्ताहिक रिपोर्ट, जमाबन्दी, खातेवार गोसवारा पर किसके हस्ताक्षर हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त नलकूप वि० खण्ड के अन्तर्गत इस नलकूप की सिंचन क्षमता अन्य नलकूपों से कहीं अधिक है ? यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 में सिंचाई का प्रतिशत क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड हरिग्टनगंज के ग्राम सराय मजरा एवं सहजौना में अंशकालिक नलकूप चालकों के चयन का प्रकरण

62-श्री मित्रसेन यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या-218 बी० जी० ग्राम सरायं मजरा और नलकूप संख्या-255 वी० जी० ग्राम सहजौना मजरे सिधौरा, विकास क्षेत्र हरिग्टनगंज, फैजाबाद के छिद्रण की अलग-अलग गाटा संख्या क्या है तथा उक्त गाटा का स्वामित्व किसका है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भूमि अध्यापन के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के लेगों को संबंधित अधिष्ठानों में शासनादेश संख्या-23/25/73-कार्मिक-2, दिनांक 7 सितम्बर, 1976 के द्वारा रिक्त वर्ग-3 तथा वर्ग-4 के न्यूनतम वेतनमान क्रमशः 200-320 तथा 165-215 के पदों पर चयन के समय वरीयता का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या इण्डोडच नलकूप निगम, फैजाबाद द्वारा उपरोक्त नलकूपों पर अंशकालिक नलकूप चालकों के चयन में उक्त शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय नलकूप संख्या–218 वी० जी० ग्राम सरायं मजरा तथा नलकूप संख्या 255 बी०.जी० ग्राम सहिजौना, मजरा सिंधोरा विकास खण्ड, रहिम्टनगंज, जनपद फैजाबाद के छिद्रण क्रमशः गाटा संख्या–35 ग्राम सरायं मजरा एवं गाटा संख्या 516 ग्राम सिधौरा में किया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार इन गाटा संख्या का स्वामित्व क्रमशः श्री साहबदीन पुत्र श्री राम आसरे एवं श्री माता प्रसाद पुत्र श्री कल्पनाथ का है ।

सिंचाई विभाग की उपरोक्त प्रकार की परियोजना के लिए भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के आश्रित को सेवायोजित किये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–5683/92–27–सिं०–7. दिनांक 22 अक्टूबर, 1992 की प्रति संलग्न है ।

जी नहीं, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 107–108 पर)

63-64–श्री राम करन आर्य–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सिंचाई विभाग में खण्ड/मण्डल स्तर पर आशुलिपिक के रिक्त पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

65–श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में शासन द्वारा खण्ड/मण्डल के आशुलिपिकों हेतु कितने पद स्वीकृत किये गये हैं और उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने आशुलिपिक कार्यरत हैं ? यदि खण्ड/मण्डल में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है, तो क्या पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्राप्त सूचना के अनुसार सिंचाई विभाग में खण्ड/मण्डल स्तर पर कुल 773 आशुलिपिकों के पद स्वीकृत हैं जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 48 आशुलिपिक कार्यरत हैं ।

जी हां ।

विशेष चयन कराने का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रमुख अभियन्ता संवर्ग के पदोन्नति के आशुलिपिकों का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

66–श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता संवर्ग के पदोन्नति के कितने आशुलिपिकों के शासन द्वारा पद स्वीकृत किये गये हैं ? उनके विरुद्ध कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के आशुलिपिक कार्यरत हैं ? क्या विभाग में प्रमुख अभियन्ता संवर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो क्या आरक्षण कोटा पूर्ण कराया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रमुख अभियन्ता संवर्ग के पदोन्नति के शासन द्वारा 91 पद स्वीकृत किये गये हैं । पदोन्नति के इन पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का आरक्षित कोटा क्रमशः 16 तथा 2 पदों पर आता है । इन आरक्षित पदों पर विभाग द्वारा अभी तक 15 आशुलिपिकों की पदोन्नति की गयी है, जिसमें से केवल 9 पदों पर ही अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है । 6 आशुलिपिकों ने प्रोन्नति करने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । कोटा पूर्ण करने के शासन के कड़े आदेश हैं ।

67–श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में भर्ती/पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों को शासनादेश का उल्लंघन कर सामान्य वर्ग से भर लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको रिक्त कराकर आरक्षित वर्ग के आशुलिपिकों को भर्ती/पदोन्नति किया जायेगा ? क्या अनियमितता बरतने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाता रहा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा काकोरी निवासी श्री आलोक कुमार गुप्ता की दुकान से लिये गये नमूने की जांच रिपोर्ट के संबंध में जानकारी

68–श्री बाबू राम वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 2-11-93 को श्री आलोक कुमार गुप्ता, काकोरी बाजार, लखनऊ की दुकान से बी०एच० सी० 10 प्रतिशत एवं कारबेन्डिजिप नामक रसायन का नमूना कीटनाश अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में जांच रिपोर्ट में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट अप्राप्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री रंगनाथ–

[5वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र औराई के कतिपय विकास खण्डों के अन्तर्गत आयोजित खेल स्पर्धाओं पर व्यय धनराशि का विवरण

70–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार जनपद वाराणसी के औराई विधान सभा क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये स्टेडियम बनायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? औराई, ज्ञानपुर, भदोही, सेवापुरी, आराजी लाइन वि० ख० में युवक मंगल दल को कितने पैसे खेल सामग्री के लिये उपलब्ध कराये गये ? वर्ष 1993 में कितने स्थानों पर खेल स्पर्धा आयोजित की गयी ? उस खेल स्पर्धा पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

वर्ष 1992-93 में वि० ख० औराई, सेवापुरी के चार-चार वि० ख०–ज्ञानपुर, भदोही, तथा आराजीलाइन के पांच-पांच युवक मंगल दलों को रुपया एक-एक हजार की धनराशि खेल सामग्री हेतु उपलब्ध कराई गई ।

वर्ष 1993 में उक्त पांचों विकास खण्डों में 15 स्थानों पर कुल रु० 7,500 की धनराशि से खेल स्पर्धायें आयोजित की गयीं ।

जनपद बांदा के कतिपय विकास खण्डों में आयोजित बैठकों में पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही की जानकारी

71–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत मछुआ बिसण्डा और बड़ोखर ब्लाकों के (वर्ष 1993-94) अन्तर्गत आहूत की गयी खण्ड विकास समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बैठकों में पारित प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में वर्ष 1991 में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम के विरुद्ध की गई शिकायत पर कार्यवाही की मांग

72–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में वर्ष 1991 में कार्यरत उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रथम के विरुद्ध व्यवसायिक पार्टियों को भुगतान न किये जाने एवं एक लाख चौहत्तर हजार पांच सौ बासठ रुपया पच्चीस पैसा का भुगतान करने के पश्चात् भी प्राप्त रसीद अभिलेखों में संलग्न न कराने की शिकायत तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा शासन को की गयी थी ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत भण्डारपालों की सहायक भण्डार अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति

73–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग में कार्यरत भण्डारपालों की नियुक्ति 300 कर्मियों की की गयी है ? यदि हां, तो उनमें से सेवा नियमावली के भाग तीन (भर्ती) के प्रस्तर–5 के उप खण्ड–2 में बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कितने भण्डारपालों की प्रोन्नति की गयी है ? यदि प्रोन्नति आज तक नहीं दी गयी है, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भण्डारपाल एवं सहायक भण्डार अधीक्षक सेवा नियमावली, 1985 के भाग-तीन (भर्ती) के प्रस्तर–5 के उप खण्ड–2 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 25 भण्डारपालों को सहायक भण्डार अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में बाढ़ से हुई क्षति का विवरण तथा उससे रोकथाम की मांग

74–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में पिछली बरसात में आई बाढ़ से कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुयी है ? वहां पर बाढ़ की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही ।

चिकित्साधिकारी तृतीय से चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों पर समायोजन

75–श्री अक्षयवर लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं०–5592/(1)/5-11-92-9(228)/78 टी० सी०, दिनांक 11 नवम्बर, 1992 द्वारा चिकित्साधिकारी तृतीय से चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों पर समायोजन हेतु कितने आवेदन-पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को कब प्राप्त हुये ? क्या प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण करके चिकित्साधिकारी (तृतीय) से चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वा० में परिवर्तित करके उनकी सेवायें ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या उन्हें वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो वेतन न देने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या मंत्री जी उक्त चिकित्साधिकारियों को तत्काल वेतन भुगतान के आदेश करते हुये विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को चिकित्साधिकारी, तृतीय से चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य के पदों पर समायोजन हेतु 6 आवेदन पत्र क्रमशः दिनांक 13-11-92, 24-11-92, 26-11-92, 30-11-92 एवं 10-2-94 को प्राप्त हुये थे । मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा जनपद-लखनऊ में

चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य के 2 रिक्त पदों के विरुद्ध 2 चिकित्साधिकारी का समायोजन करके सेवायें ली जा रही हैं और उन्हें वेतन दिया जा रहा है तथा शेष 4 आवेदन-पत्रों को अन्य जनपदों में चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य के रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजन हेतु निदेशक, आयुर्वेद, उ० प्र०, लखनऊ को मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य परिवहन विभाग की अभियंत्रण सेवाओं के वर्णित अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं स्थानान्तरण का मामला

76–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, उ० प्र०, लखनऊ के दिनांक 6-1-94 के अभियन्ताओ के विरुद्ध शिकायती पत्र के क्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री भाष्कर ने अपने कार्यालय पत्रांक 191, दिनांक 11-1-94 द्वारा शासन के आई० ए० एस० अधिकारी से जांच कराने हेतु प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिये हैं ? प्रश्नगत जांच किन-किन आरोपों/शिकायतों/मांगों के सन्दर्भ में हैं तथा आदेशानुसार जांच किस अधिकारी द्वारा कब से की जा रही है ? क्या जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? जांच के फलस्वरूप किसको दोषी पाया गया तथा किस-किस दोषी को क्या दण्ड दिया गया एवं जांच के सन्दर्भ में अन्य क्या मुख्य कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

प्रश्नगत जांच स्वास्थ्य विभाग की अभियंत्रण सेवाओं के तीन अभियन्ताओं श्री वी० के० सिंह, श्री एन० के० गुप्ता एवं श्री एन० दत्ता के स्थानान्तरण तथा विद्युत सेल के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता आहरण/भुगतान में अनियमितताये, श्री मुजीबुर्ररहमान की पैतृक विभाग में वापसी, तीनों अभियंत्रण इकाईयों का स्थापना कार्य एक ही अनुभाग में किए जाने आदि आरोपों/शिकायतों/मांगों के सन्दर्भ में है। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी के पुनरीक्षित आदेशानुसार प्रकरण की जांच हेतु श्री लव वर्मा, आई० ए० एस० को दिनांक 11-3-94 को नामित किया गया है।

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

77–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेशों के क्रम में ही उक्त संघ का कोई पत्र जनवरी, 1994 में स्वास्थ्य मंत्री/स्वास्थ्य सचिवालय के द्वारा शासन/निदेशालय में प्राप्त हुआ है ? संघ के जनवरी के उक्त पत्रों में जांच किये जाने के पूर्व लखनऊ में ही 20 वर्षों से एक ही पदों/सीट पर कार्यरत तीन अभियन्ताओं को स्थानान्तरित करने सहित क्या-क्या बिन्दु उठाये गये हैं ? संघ के उक्त पत्रों के क्रम में स्थानान्तरण सहित क्या-क्या कार्यवाही कर ली गयी है एवं बाकी कार्यवाही कब तक पूरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

उक्त पत्रों में माननीय विधायकगण श्री चरन सिंह एवं श्री मुनीश गौड़ द्वारा दिनांक 20-12-93 एवं 22-12-93 को नियम–301 के अन्तर्गत उठाये गये मामले की जांच में उत्पीड़ित कर्मचारियों, राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् पटवाडांगर को सुने जाने तथा 3 अभियन्ताओं को स्थानान्तरित किए जाने आदि के बिन्दु उठाये गये हैं ।

संघ के उक्त पत्रों के संदंध में निदेशक, चिकित्सा एवं निदेशक, प्रशासन (श्री लव वर्मा) द्वारा जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता में स्वीकृत आई० टी० आई० के निर्माण कार्य की प्रगति

78–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड चकराता में स्वीकृत आई० टी० आई० का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

इस निर्माण हेतु रु० 94.23 लाख की धनराशि दी गई जिसमें से अभी तक रु० 33.52 लाख का व्यय हुआ है । निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में क्वासी डामटा मोटर मार्ग स्वीकृत न होना

79–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में क्वासी डामटा मोटर मार्ग की वित्तीय स्वीकृति को शासन द्वारा निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

क्वासी-डामटा मोटर मार्ग से अधिक गांव लाभान्वित न होने के कारण स्वीकृति निरस्त की गई । इस मार्ग के स्थान पर मुख्य मार्ग (आर्टियल रोड) मुंशीघाटी-देऊ-पंजिटिलानी मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

प्रदेश के समस्त जनपदों में राशन कार्ड बनाने की कार्यवाही

80–श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नया राशन कार्ड बनाने तथा यूनिट बढ़ाये जाने हेतु कोई शासनादेश निर्गत हुआ है ? यदि हां, तो वाराणसी सहित अन्य सभी जनपदों में अनेक प्रकार से आवेदकों को परेशान करने व हतोत्साहित किये जाने का कारण क्या है ? उक्त शासनादेश का

अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित कराये जाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में फर्जी यूनिटों के उन्मूलन के लिए दिनांक 5 सितम्बर, 1991 से अभियान चलाया गया था जिसके कारण राशन कार्ड बनाने पर प्रतिबन्ध था । शासनादेश संख्या 1393/खाद्य–6-2-(4)/91 दिनांक 13 मई, 1993 से यह प्रतिबन्ध समाप्त करते हुए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पुनः जारी की गई ।

प्रदेश के सभी जनपदों में राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं । वाराणसी जनपद में जून, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि में 59,059 यूनिट के 9,246 राशनकार्ड जारी किये गये हैं । किसी भी जनपद से आवेदकों को परेशान अथवा हतोत्साहित करने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

भारत तथा श्री लंका के मध्य क्रिकेट मैच की व्यवस्था का दायित्व

81–श्री रामकुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में श्री लंका तथा भारत के मध्य क्रिकेट मैच जनवरी, 1994 को हुआ था ? यदि हां, तो इस क्रिकेट मैच की कुल व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका था ? क्या इस मैच में वी० आई० पी० पास जारी किये गये थे ? यदि हां, तो कितने ? क्या स्थानीय विधायकों को इस मैच के पास दिये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

व्यवस्था का दायित्व उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, कानपुर का था । उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वी० आई० पी० पास जारी किए गए थे जिनकी संख्या शासन को ज्ञात नहीं है । स्थानीय विधायकों को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने पास दिए अथवा नहीं इसकी भी जानकारी शासन के पास नहीं है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत निर्मित चेक डैमों का निर्माण एवं उनमें जल संचय की जानकारी

82–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कितने चेक डैमों का निर्माण कराया गया है ? क्या उनके निर्माण में सामग्री की गुणवत्ता सही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त चेक डैमों में जल संचय है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में नहरों की सफाई की जानकारी

83–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में नहरों की सफाई निर्धारित समयावधि में हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सफाई कार्य हेतु शासन ने कितना धन 1993-94 में उपलब्ध कराया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नहरों के निरन्तर चलने के कारण नहरों की सफाई निर्धारित अवधि में किया जाना संभव नहीं हो सका है।

12.00 लाख रु०।

जनपद उन्नाव में ब्लाक–बिछिया के ग्राम–पड़री कलां में ड्रेन निकालने की मांग

84–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सिंचाई मंत्री के संज्ञान में है कि उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के ग्राम पड़री कलां ब्लाक बिछिया में ड्रेनों के अभाव में झीलों में पानी भरा रहता है और सम्पूर्ण क्षेत्र की खेती बगैर ड्रेन के अविकसित है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्र में ड्रेने निकालने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अविकसित ड्रेन के कारण कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती है।

वर्तमान में संबंधित क्षेत्रों में ड्रेनें निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर स्थित दुग्ध संघ के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

85–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, शाहजहांपुर ने सचिव, दुग्ध संघ, शाहजहांपुर के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र जो रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 4-1-93 या इसके आस-पास उनको तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर व जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को भेजे हैं, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या शासन अपने स्तर से दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनवरी, 1994 में प्रश्नकर्ता के दिनांक रहित एक पत्र के साथ सुश्री विजय लक्ष्मी, अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, शाहजहांपुर के तीन पत्रों, जिनमें से एक माननीय मुख्य मंत्री को तथा दो अन्य संबंधित दुग्ध संघ के प्रबन्धक/सचिव को सम्बोधित है, की फोटो प्रतियां संलग्नक के रूप में प्राप्त हुयी हैं। एतद्द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच मंडलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी को सौंप दी गयी है।

जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा वर्ष 1993 में की गई नियुक्ति

86–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने माह दिसम्बर, 1993 या इसके आस-पास कितनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं ? क्या इन नियुक्तियों में शासन के निर्धारित नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन नियुक्तियों हेतु दोषी मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शासन अपने स्तर से कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

स्वीपर कम चौकीदार के पद पर तीन नियुक्तियां की गयी हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल स्थित पटुआडांगर के डा० ओ० पी० गुप्ता की तैनाती अवधि एवं धारित पदों का विवरण

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटुआडांगर नैनीताल में डा० ओ० पी० गुप्ता की वर्ष 1973 से 1987 के बीच की तैनाती अवधि एवं धारित पदों के बारे में निदेशक प्रशासन अनुभाग–3-ए के पत्र दिनांक 1-5-93 के क्रम में पटुआडांगर से जून 1993 में कोई सूचनायें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो पटुआडांगर के प्रश्नगत पत्र के अनुसार डा० ओ० पी० पटुआडांगर नैनीताल में तैनाती अवधि एवं धारित पद तथा डा० गुप्ता को प्राप्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का विवरण क्या है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 4-6-93 के अनुसार डा० ओ० पी० गुप्ता के संबंध में सूचना निम्नवत् है :–

(1) तैनाती अवधि एवं धारित पद :–

चिकित्सा अधिकारी 1970 से मार्च, 75 तक ।

सहायक निदेशक 6-9-80 से फरवरी, 84 तक ।

(2) डा० गुप्ता संस्थान में कार्यवाहक उप निदेशक/संयुक्त निदेशक के पद पर वित्तीय अधिकारी सहित कार्यरत रहे ।

दिनांक 31-1-70 से 1-3-70

दिनांक 16-11-80 से 21-7-81

दिनांक 27-7-82 से 29-7-82

दिनांक 4-11-82 से 10-2-83

दिनांक 11-5-83 से 26-6-83 तक

दिनांक 21-12-83 से 9-1-84 तक

जनपद व तहसील वाराणसी के परगना–पन्द्रहा के ग्राम–बरहीकलां में अनेई माइनर में ली गई भूमि का मुआवजा देने की मांग

88–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि खाता खतौनी नं० 275 खसरा नं०–931 गांव बरहीकलां प० पन्द्रहा, तहसील व जिला वाराणसी के बीचोबीच बावतपुर रजबहा की अनेई माइनर अर्सा 10-12 वर्ष

पूर्व निकाली गयी और करीब 50 डि० से ऊपर की जमीन ले ली गयी है ? क्या उपरोक्त जमीन के काश्तकार रामराज पुत्र रामसुन्दर हैं ? यदि हां, तो जो जमीन अनेई माइनर में ले ली गई है, उसका मुआवजा आज तक रामराज को न दिये जाने के क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर मय ब्याज के मुआवजे का भुगतान कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् ही प्रविकर वितरण किया जाता है । प्रश्नगत मामले में वैधानिक कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक-पिंडरा के ग्राम-बसन्तपुर में नये ट्यूबवेल के छिद्रण के स्थल चयन विषयक विवाद का निस्तारण

89–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश ने 25-12-93 को गांव बसन्तपुर ब्लाक पिंडरा, जिला वराणसी में नये ट्यूबवेल के छिद्रण के गलत स्थल के बारे में अमरनाथ यादव व सन्तपुर की दरख्वास्त पर जिलाधिकारी वाराणसी को लिखा है कि उक्त ट्यूबवेल का छिद्रण आराजी नं०–456 में सुनिश्चित किया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि अधिशासी अभियन्ता श्री वी० के० सिंह ने गलत स्थान पर पहले निशान क्यों लगाया जो नाले के किनारे नीची जमीन में हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, अपितु माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन ने 25-12-93 के गांव-बसन्तपुर ब्लाक पिण्डरा, जिला-वाराणसी में नये ट्यूबवेल के छिद्रण के स्थल के बारे में श्री अमरनाथ यादव बसन्तपुर के दरख्वास्त पर जिलाधिकारी वाराणसी को लिखा है कि "यथा स्थान प्लाट पर ट्यूबवेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।"

जी नहीं । क्योंकि जिलास्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात प्रश्नगत नलकूप स्थल का चयन अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी, जो स्थल चयन हेतु सक्षम अधिकारी हैं, के द्वारा किया गया, वह नाले के किनारे न होकर लगभग 500 मीटर दूर है ।

90–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता नलकूप श्री आर० पी० शर्मा ने अधिशासी अभियन्ता श्री वी० के सिंह नव निर्माण खण्ड वाराणसी को 2-1-94 को मा० ग्राम्य विकास मंत्री के पत्र की प्रतिलिपि के साथ पत्र भेजा है कि जब तक अन्तिम निर्णय न हो जाये छिद्रण प्रारम्भ न करें ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच सिंचाई विभाग के टेक्निकल सेल से कराकर उपरोक्त अधिशासी अभि० व सहायक अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, अपितु अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल वाराणसी श्री आर० पी० शर्मा ने अधिशासी अभियन्ता श्री वी० के सिंह, नलकूप निर्माण खण्ड वाराणसी को 31-1-94 को मा० ग्राम्य विकास मंत्री का जिलाधिकारी वाराणसी को ग्राम-बसन्तपुर के कृषकगण के पत्र पर अंकित टिप्पणी प्रेषित करते हुए लिखा है कि "दिनांक 4-1-94 को आप स्वयं नलकूप पर जाकर सभी कृषकों को एकत्रित कर सर्वसम्मति से छिद्रण स्थल पर नलकूप छिद्रण कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में संबंधित ग्राम प्रमुख तथा क्षेत्रीय विधायक का भी सहयोग प्राप्त करें।"

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि ग्राम बसन्तपुर के नलकूप निर्माण हेतु छिद्रण स्थल पर कृषकों के आपसी विवाद एवं माननीय जन प्रतिनिधियों के छिद्रण स्थल के सम्बन्ध में विपरीत निर्देशों के कारण नलकूप का छिद्रण रूका हुआ है।

ग्राम्य विकास अभिकरण जनपद सुल्तानपुर व फैजाबाद में कार्यरत अन्वेषक (सांख्यिकी) एवं सहायक संख्याधिकारियों को प्रोन्नत वेतनमान देने सम्बन्धी जानकारी ;

91–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा अन्वेषण (सांख्यिकी) एवं सहायक सांख्याधिकारियों का प्रोन्नत वेतनमान रु० 1600–2660 शासनादेश संख्या 1-1495/दस-19 (एम) 89 दिनांक 7 जुलाई, 92 के पश्चात् जिला ग्राम विकास अभिकरण सुल्तानपुर, फैजाबाद में कार्यरत अन्वेषक (सांख्यिकी) एवं सहायक सांख्याधिकारियों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं।

मामला शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत ड्रग लिपिकों एवं वरिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

92–श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों मे कितने ऐसे ड्रग लिपिक हैं, जिनको एक ही पद पर 10 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गये हैं ? क्या मंत्री जी इनके स्थानान्तरण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारियों के अधीन कितने ऐसे वरिष्ठ लिपिक हैं, जिनको एक ही जनपद में कार्य करते हुये 15 वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया के ग्राम पखरौली से हनुमानगंज तथा छतौना से कुछमुछ सम्पर्क मार्ग में घटिया सामग्री लगाने विषयक मा० विधायक के शिकायती-पत्र का प्राप्त न होना

93–श्री सफदर रजा खां–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर में भदैया में ग्राम पखरौली से हनुमानगंज तक तथा छतौना से कुछमुछ के सम्पर्क मार्गों में घटिया किस्म की सामग्री लगायी गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र माह जनवरी, 1994 में मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या टेक्निकल सेल से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

जी नहीं।

ब्लाक भदैया जनपद सुल्तानपुर में ग्राम पखरौली से हनुमानगंज तथा छतौना से कुछमुछ सम्पर्क मार्ग में घटिया सामग्री लगाने विषयक मा० विधायक का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः टेक्निकल सेल से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में मृत आश्रित सहायक निदेशक (संरक्षण) की नियुक्ति

94–श्री छोटे लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में सहायक निदेशक (संरक्षण) की शासनादेश संख्या 7215/चार–90–8(25)/86 दिनांक 7 दिसम्बर, 1990 के द्वारा योग्यता तथा अनुभव निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या नियुक्ति अधिकारी के पास उक्त शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित अर्हतायें तथा अनुभव हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नियुक्ति को निरस्त करके विभागीय अभ्यर्थी की नियुक्ति करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अर्हताओं को शिथिल करते हुए मानवीय आधार पर शासन द्वारा प्रश्नगत पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। अतः नियुक्ति को निरस्त करने का प्रश्न नहीं।

95–श्री छोटे लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार में सहायक निदेशक (संरक्षण) की नियुक्ति के समय विभागीय सुयोग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थी उपलब्ध था ? यदि हां, तो क्या उसकी नियुक्ति उक्त पद पर करने हेतु विचार किया गया ? यदि हां, तो उसकी नियुक्ति न कियें जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति शासनादेश सं० 6-12-1973 कार्मिक-2, दिनांक 12 अगस्त, 1991 के नियमों का उल्लंघन करके की गयी है या आयोग की संस्तुति ली गयी है ? यदि हां, तो वह संस्तुति क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 की सामान्य अर्हताओं को शिथिल करते हुए मृतक के आश्रित को सहायक निदेशक (संरक्षण) के पद पर नियुक्ति की गई । अतः शेष का प्रश्न नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं । चूंकि उक्त पद पर मृतक के आश्रितों की नियुक्ति मानवीय आधार पर नियमों को शिथिल करते हुए की गयी है । अतः शेष का प्रश्न नहीं ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-मनिकापुर, वजीरगंज और छपिया के अन्तर्गत खालेगांव व भवाजितपुर आदि स्थानों पर के तालाब खुदाई में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

96–श्री राम विशुन आजाद–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1991-92 में विकास खण्ड मनिकापुर, छपिया और वजीरगंज जनपद गोण्डा में खेसरी ड्रेन, खालेगांव भवाजितपुर, चारू, खोखिया और अशोकपुर में तालाब एवं नाले के खुदाई के कार्यों पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर सम्बन्धित इन्जीनियरों द्वारा वहां पर नाम मात्र काम ट्रेक्टर से करवाकर लाखों रुपया हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी० ए० सी० से जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991-92 में विकास खण्ड मनिकापुर, छपिया और वजीरगंज जनपद गोण्डा में कोसरी (सही नाम खिसरी) ड्रेन, चारू, खीखिया (सही नाम खुखिया) और अशोकपुर में तालाब एवं नाले के खुदाई के कार्यों पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर लाखों रुपया हड़पने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

छपिया विकास खण्ड के अन्तर्गत खालेगांव व भवाजितपुर के तालाब खुदाई में अनियमितता प्रकाश में आयी है जिसके लिये संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रगति में हैं । शेष कार्यों की विभागीय जांच हेतु आदेश कर दिये गये हैं ।

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में कार्यरत मण्डलीय अधिकारियों के संबंध में जानकारी

97–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मंडल में कुल नियुक्त कितने मण्डलीय अधिकारी हैं ? इनमें कितने अधिकारी अपने मण्डल मुख्यालय में नियमित बैठते हैं ? क्या सरकार ने अनधिकृत कैम्प आफिस तोड़ने की कोई योजनायें बनायी हैं ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान समय में गढ़वाल मण्डल में कुल 55 मण्डलीय अधिकारी तथा कुमायूं मण्डल में 51 मण्डलीय अधिकारी हैं ।

सभी मण्डलीय अधिकारी वर्तमान समय में स्थित अपने मण्डलीय कार्यालय में नियमित रूप से बैठते हैं ।

जी हां।

देहरादून स्थित गढ़वाल मण्डल के समस्त मण्डलीय अधिकारियों के अनधिकृत कैम्प आफिस बन्द करने के निर्देश निर्गत किये गये है।

गढ़वाल मण्डल के समस्त मण्डलीय अधिकारियों जिनके पैम्प कार्यालय अनधिकृत रूप से देहरादून स्थित है।

प्रश्न नहीं उठता।

98–श्री शिवदानी–

[3सरे सोम० में अता० प्र० सं०–168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत मार्गों के निर्माण की मांग

99–श्री नजमउद्दीन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज में मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 27-3-91 को स्वीकृत मार्गों पर कार्य आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त दिनांक को कौन-कौन से मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे ? क्या यह सही है कि दिनांक 27-3-91 के बाद स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त मार्गों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के ब्लाक-हिलौली के ग्राम-रजवाड़ा में असफल घोषित सरकारी ट्यूबवेलों के विकल्प के रूप में नये ट्यूबवेल लगाने की मांग

100–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसी सरकारी ट्यूबवेल को "त्याज्य/असफल घोषित" करते समय सरकार के मानक क्या हैं ? क्या सरकार उन्नाव जिले के त्याज्य सरकारी ट्यूबवेलों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्लाक हिलौली के रजवाड़ा ग्राम के सरकारी ट्यूबवेल के त्याज्य घोषित करने के पूर्व ट्यूबवेल के पानी में नमक मिलाकर जांच करवाई गयी थी ? इस सन्दर्भ में मुख्य मंत्री को माह जनवरी, 1994 में घोषित पत्र की जांच किसने की ? क्या सरकार ने असफल घोषित सरकारी ट्यूबवेलों के विकल्प के रूप में उसी क्षेत्र/कमाण्ड एरिया में नये ट्यूबवेल लगाने के निर्णय लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ट्यूबवेल लग जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय नलकूप को खारे पानी कम भूगर्भ जल की उपलब्धता, प्रतिकूल भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण परित्याग किया जाता है।

परित्याग हेतु प्रस्तावित नलकूपों की सूची संलग्न है।

प्रश्नगत नलकूप अभी त्याज्य घोषित नहीं किया गया है । मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दि० 4-2-94 की अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, उन्नाव द्वारा जांच में नलकूप का पानी खारा होने के कारण बन्द पाया गया ।

असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार, जनपद योजना से धन स्वीकृत होने पर किया जाता है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ-109 पर)

जनपद देवरिया की मण्डी समिति तमकुही रोड के अन्तर्गत नेशनल हाई वे सलेमगढ़ में जांच चौकी विषयक जानकारी

101–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्य कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के मण्डी समिति तमकुही रोड के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे 28 पर सलेमगढ़ में कोई जांच चौकी स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि वहां लगे बैरियर जिस पर जांच चौकी का बोर्ड लगा है विभाग का कर्मचारी रहता है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड-सेवरही के मठिया श्री राम न्याय पंचायत में सामुदायिक विकास केन्द्र को पूर्ण करने की मांग

102–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड सेवरही के मठिया श्रीराम न्याय पंचायत में कोई सामुदायिक विकास केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय होना है तथा कब तक निर्माण पूर्ण हो जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के विकास काण्ड सेवरही के कार्यालय भवन के बाउन्ड्री के निर्माण पर व्यय धनराशि

103–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड सेवरही के कार्यालय भवन के निर्माणाधीन बाउन्ड्री पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है तथा यह कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद देवरिया के विकास खण्ड सेवरही के कार्यालय भवन की बाउन्ड्री के निर्माण पर अब तक कुल रु० 2,73,225.00 का व्यय हुआ है और बाउन्ड्री का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । केवल गेट लगाया जाना शेष है जिसे शीघ्र ही लगा दिया जायेगा ।

जनपद देहरादून के निर्वाचन क्षेत्र चकराता में पुरोड़ी डामटा मोटर मार्ग के निर्माण की जानकारी

104–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के चकराता निर्वाचन क्षेत्र में पुरोड़ी, रावना, डामटा मोटर मार्ग कब स्वीकृत हुआ ? क्या उक्त मोटर मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति कि० मी० 1 से 3 वर्ष 1979 में तथा कि० मी० 4 से 30 तक की स्वीकृति वर्ष 1981 प्रदान की गयी थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105–श्री लाल बहादुर सिंह–

[5वें गुरु में अता० प्र० सं०–35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतीपुर में ड्यूटी न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

106–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतीपुर ब्लाक नवाबगंज में अस्पताल कर्मचारियों का वेतन निकाला जा रहा है परन्तु जनता की सुविधा के लिये न तो उक्त अस्पताल खुलते हैं न ही कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर शासन द्वारा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के समस्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुसंधान सहायकों के वेतन विसंगति का निर्णय न होना

107–श्री परशुराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त तीनों कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुसंधान सहायकों (रिसर्च असिस्टेंट) जो ड्राइंग कैडर में नियुक्त हैं, को समानता के आधार पर यू० जी० सी० वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त दिये जा रहे वेतनमान का विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुसंधान सहायकों को शासनादेश सं०–4827 दिनांक 7-3-91 के अनुसार वेतनमान 2,200-4,000 दिनांक 12-12-89 से भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित समिति की संस्तुति न आने के कारण मामले में निर्णय नहीं हो सका है ।

जनपद हरदोई की तहसील-सण्डीला के ग्राम–मनिकापुर, मजरा मीरनगर अझिगवां के समीप अधूरी ड्रेन को पूरा करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

108–श्री जगदम्बा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम–मनिकापुर, मजरा मीरनगर, अझिगवां तह०–सण्डीला, जिला–हरदोई में सोहलामऊ तथा मनिकापुर के बीच में तालाब से बेतवे तक की अधूरी ड्रेन की खुदाई सन् 1990 में प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ? उक्त अधूरी ड्रेन को पूरा करने विषयक दि० 13-1-94 को सिंचाई मंत्री को ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त अधूरी पड़ी हुई ड्रेन को कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ड्रेन की खुदाई ग्राम बिलई के तालाब से लेकर ग्राम मनिकापुर के तालाब तक तथा मनिकापुर तालाब से नीचे ग्राम मोहदिया तक की गयी थी । इसके आगे नेचुरल ड्रेन द्वारा इसका पानी चेहटा नाले में गिर जाता है । तालाब को छोड़कर ड्रेन की लम्बाई 4.15 कि० मी० है । इस ड्रेन का निर्माण कार्य वर्ष 1991-92 में डी० आर० डी० ए० से प्राप्त धनराशि से पूर्ण कराया गया ।

दिनांक 13-1-94 को पत्र जिला–अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ था इस ड्रेन का कार्य वर्ष 91-92 में ही पूर्ण कराया गया था ।

ड्रेन में किसी निर्माण की आवश्यकता नहीं है । ड्रेन की सफाई कराना ही पर्याप्त होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये स्थानान्तरण की जानकारी तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

109–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1993 में मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा अपने स्तर से कुल कितने स्थानान्तरण किये गये हैं ? उनमें से कितने स्थानान्तरण संशोधित अथवा निरस्त किये गये हैं ? स्था० आदेश संशोधित करने अथवा निरस्त करने के क्या कारण थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 93 में शासन की स्थानान्तरण नीति क्या थी ? क्या सभी स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुरूप ही किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध मांगी गयी आख्या पर कार्यवाही करने की मांग

110–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग–12, उ० प्र० शासन ने अर्धशासकीय पत्र सं०–62/5-12-94/एम–75/93, दिनांक 7-1-94 द्वारा डा० के० बी० वार्ष्णेय, महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ० प्र० से चिकित्साधिकारी, फैजाबाद की भूमिका के संबंध में कोई

आख्या मांगी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उसमें मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद को दोषी पाया गया है ? क्या उसकी प्रति सदन के पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अपर निदेशक, चि० स्वा० एवं प० क०, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ने अपने पत्र सं०–ए० डी०/शिका०/फै०/93/4069, दिनांक 9 सितम्बर, 93 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के संबंध में शासन द्वारा मांगी गयी आख्या संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग–12, उ० प्र० शासन, लखनऊ को भेजी है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन के पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस आख्या के आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड धियांव में ढोडी ड्रेन परियोजना पर व्यय धनराशि का विवरण

111–श्री मित्रसेन यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 92-93 में जनपद फैजाबाद में ढोडी ड्रेन परियोजना, विकास खण्ड धियांव में डी० आर० डी० ए० (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण), फैजाबाद द्वारा स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत की धनराशि क्या है ? अब तक कार्यदायी संस्था को कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है और कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त परियोजना का एल सेक्शन, क्रास सेक्शन एवं प्राक्कलन की वगैर स्वीकृति के ही धन अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये कौन दोषी है ?

श्री श्री राम यादव–

जी हां ।

रु० 23.44 लाख ।

अब तक कार्यदायी संस्था को रु० 15.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है । 9.950 किलो मीटर ड्रेन की खुदायी का कार्य कराया जा चुका है ।

जी नहीं, प्राक्कलन के स्वीकृतोपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के उरई नगर में हजारीपुरा के समीप रपटा को पूरा करने की मांग

112–श्री अकबर अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के उरई नगर में हजारीपुरा के पास से गुजरे नाले पर आर० ई० एस० द्वारा बनवाया गया रपटा कितनी लागत से बना है और इसका क्या आकार है ? क्या यह सही है कि इसमें लागत व इस्टीमेट के अनुसार काम न करके कार्य में अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच करके दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कराकर रपटे का कार्य इस्टीमेट के अनुसार पूरा कराया जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद जालौन के उरई नगर में हजारीपुर के पास से गुजरे नाले पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनाये गये रपटे की अनुमानित लागत 4.89 लाख रु० है । उक्त कार्य के लिये 4.29 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें 8×2.0 मीटर स्थान में 1.50 मीटर ऊंचाई का रपटा तथा 15 मीटर लम्बाई में एप्रोच का निर्माण प्रस्तावित था किन्तु स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप ड्राइंग में सशोधित करके रपटा की ऊंचाई 1.85 मीटर तथा 24.0 मीटर लम्बाई में एप्रोचं का निर्माण प्रस्तावित किये जाने के फलस्वरूप लागत में 60,000 रु० की वृद्धि हो गई ।

जी नहीं । निर्माण कार्य स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार ही कराया गया है । इस प्रकरण में जांच कराने तथा किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । उपलब्ध धनराशि से केवल रपटा का निर्माण कार्य तथा एप्रोच का मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा सका है । संशोधित प्राक्कलन के अनुसार रपटे का अवशेष कार्य अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर पूरा किया जायेगा ।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के ग्राम ददरी के नाले पर रपटा बनाकर भू-रारण रोकने की मांग

113–श्री अकबर अली–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उरई जनपद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ददरी के नाले में होने वाले कटाव से रपटा या रोक न होने से सैकड़ों एकड़ भूमि क्षरण का शिकार होकर असिंचित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त नाले पर रपटा या रोक निर्माण कराकर इस भू-क्षरण को रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस प्राकृतिक नाले से होने वाले कटाव को रोकने के संबंध में फिलहाल कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के ग्राम–हरदोई राजा में तालाब की खुदाई से संबंधित प्रकरण

114–श्री अकबर अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरदोई राजा में वर्ष 92-93 में तालाब की खुदाई का काम किस एजेन्सी से कराया गया है ? यदि यह कार्य दैनिक मजदूरी पर मानव दिवस के क्रम में पूरा किया जाना दर्शाया गया है, तो क्या सरकार उन श्रमिकों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी, जिनसे यह काम कराया गया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह कार्य ट्रैक्टरों से कराया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्री राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में कतिपय दैनिक वेतन कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण

115–श्री हृदय नारायण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में शासन द्वारा जारी किये गये प्रान्तीयकरण विषयक शासनादेश दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 का उल्लंघन करते हुए, कतिपय दैनिक वेतन कर्मचारियों को उक्त मेडिकल कालेज में पद उपलब्ध न होते हुए भी,

अवैध रूप से लगभग तीन वर्ष तक सरकारी सेवा में रखा गया है ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश का उल्लंघन करने के कारण शासन को अब तक कितनी आर्थिक हानि हुई ? क्या शासन द्वारा इस प्रकार आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये दोषी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया के ग्राम सभा मनीपुर के ग्राम प्रधान द्वारा प्राप्त धनराशि के खर्च का विवरण तथा उसके दुरुपयोग की जांच की मांग

116–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मनीपुर, तहसील हंडिया, जनपद इलाहाबाद के ग्राम प्रधान को किन-किन स्रोतों से कब-कब, कितना-कितना धन प्राप्त हुआ ? उक्त धन को किन-किन कार्यों में कब-कब और कितना-कितना खर्च किया गया है ? क्या उपरोक्त धनराशि भिन्न-भिन्न कार्यों में निर्धारित मानक के अनुसार खर्च की गई है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम प्रधान व विकास खण्ड अधिकारी की साठ-गांठ से धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के निर्वाचन क्षेत्र सरोजनीनगर स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठता सूची में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक एवं टंककों की छंटनी न करने की मांग

117–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्यरत 50 सुरक्षा कर्मियों, जो हटाये गये हैं उनको कब तक समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से नयी नियुक्तियां की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसी आधार पर चयनित वरिष्ठता सूची में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक एवं टंककों को पुनः परीक्षा के उपरान्त उनकी छंटनी की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री बलराम यादव–

50 भूतपूर्व सैनिक संविदा के आधार पर उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम जो संस्थान का ठेकेदार है, के माध्यम से कार्यरत थे । यह 50 भूतपूर्व सैनिक संस्थान के कर्मचारी नहीं थे इसलिए संस्थान द्वारा नियोजित करने का प्रश्न नहीं है ।

जी नहीं ।

संस्थान में वर्ष अक्टूबर एवं दिसम्बर, 1992 में कुछ टंककों की नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई थी। अन्य कर्मचारियों की भांति इनकी नियुक्ति भी प्रारम्भ में एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई थी। नियुक्ति पत्र में उल्लिखित अनुबन्धों के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु इनकी टंकण परीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। छंटनी की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। इन टंककों ने इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया है। मा० उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि टंककों की टंकण परीक्षा लेने के उपरान्त उसके परिणाम संस्थान न्यायालय को अवगत कराये।

आयुर्वेद/यूनानी निदेशालय, लखनऊ (मुख्यालय) के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रकरण

118–श्री मुक्ति नाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद/यूनानी निदेशालय, लखनऊ (मुख्यालय) में कितने लिपिकीय वर्ग तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 6 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि एक जिले में 6 वर्ष तक कार्य करने के बाद स्थानान्तरण करने की शासन की नीति है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आते हैं व उनके नाम क्या हैं ? क्या शासन की यह भी नीति है कि निदेशालय में एक सीट पर 3 वर्ष तक ही कार्य लिया जायेगा ? यदि हां, तो ऐसा न करके निदेशालय आयुर्वेद/यूनानी में काफी दिनों से एक ही सीट पर नियुक्त रखने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आने वाले निदेशालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण बाहरी जनपदों में करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

आयुर्वेदिक/यूनानी निदेशालय, लखनऊ (मुख्यालय) में 41 लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी 6 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

प्रत्येक वर्ष निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुरूप स्थानान्तरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, शासन की नीति के अनुरूप निदेशालय में सामान्यतः एक सीट पर तीन वर्ष तक रखा जाता है, परन्तु कार्य हित में अपरिहार्य परिस्थितियों में एक सीट पर तीन वर्ष से अधिक भी कार्य लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गढ़वाल में चाकीसैंण को पृथक विकास खण्ड बनाने की मांग

119–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में थलीसैंण विकास खण्ड की भौगोलिक एवं आर्थिक दबाव को देखते हुए पृथक विकास खण्ड चाकीसैंण को स्थापित करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र इस दिशा में कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात् ही विकास खण्डों के सृजन/पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। सम्प्रति कोई नया विकास खण्ड सृजित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद चमोली गढ़वाल के आदिबदरी को पृथक विकास खण्ड बनाने की मांग

120–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला चमोली गढ़वाल में गैरसैंण विकास खण्ड का विघटन कर आदिबदरी में अलग से विकास खण्ड स्थापित किये जाने हेतु जनता वर्षों से आन्दोलित है ? यदि हां, तो उस दिशा में क्या सार्थक प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रा० स्वा० केन्द्र पर मरीजों से पंजीकरण शुल्क लिये जाने के संबंध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

121–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० सरकार ने उ० प्र० के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण शुल्क फ्री के आदेश हैं, यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग, उ० प्र० सरकार के आदेशों के विपरीत जनपद शाहजहांपुर के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्रा० स्वा० केन्द्रों पर मरीजों से अभी भी पंजीकरण शुल्क एक रुपया वसूला जा रहा है? क्या सरकार इसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति की मांग

122–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में चिकित्सा अधीक्षक का पद करीब 6 माह से रिक्त है ? यदि हां, तो शासन स्तर से चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

उक्त पद पर तैनाती की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

इज्जतनगर, जनपद बरेली में सिंचाई कार्यशाला में मृतक आश्रित श्री ओम प्रकाश शुक्ल की नियुक्ति तथा मृतक के देयों का भुगतान

123–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री सूर्य नारायण गुप्त पुत्र परमेश्वरदीन, सिंचाई कार्यशाला, इज्जतनगर, बरेली में फिटर के पद पर कार्यरत थे तथा इनकी मृत्यु सेवा काल में ही दिनांक 3-3-90 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मृतक के आश्रित ओम प्रकाश शुक्ला निवासी बहोरखा, पोस्ट हरकरनपुर, जिला सुल्तानपुर ने कार्यप्रबन्धक, सिंचाई उद्योगशाला, बरेली को नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? क्या मृतक के देयों

का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या भुगतान न किये जाने के संबंध में किसी का उत्तरदायित्व नियत किया गया है ? यदि हां, तो किस पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मृतक आश्रित श्री ओम प्रकाश शुक्ल को नियुक्त किया जा चुका है ।

जी हां । मृतक के देयों का भुगतान क्रमशः दिनांक 10-9-90, 13-9-90 व 8-12-93 को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पट्टी रानीगढ़ से धनपुर तक सड़क बनाने की मांग

124–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली गढ़वाल की तहसील कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पट्टी–रानीगढ़ में धनपुर नामक स्थान के लिए कितनी सड़कें किस-किस सन् में स्वीकृत हुईं ? क्या यह सही है कि इस स्थान पर कई बार देश-विदेश के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कई बार सर्वेक्षण भी किया है फिर भी यहां तक सड़क न बनने के क्या कारण हैं ? क्या धनपुर तक सड़क बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नानुसार धनपुर के लिये दो सड़कें क्रमशः सन् 1979 में नगरासू-डांडाखाल-धनपुर के नाम से एवं वर्ष 1991 में गोचर सिद्धौली–धनपुर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । सन् 1979 में स्वीकृत सड़क के अन्तिम 15 कि०मी० में वन विभाग की अनुमति न मिलने के कारण स्वीकृति निरस्त हो चुकी है ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1979 में स्वीकृत सड़क का बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 1991 में स्वीकृत सड़क के शेष भाग की स्वीकृति पर सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

जनपद गढ़वाल के समस्त विकास खण्डों में फसलों के सघन प्रदर्शन कराने के कार्यक्रम पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

125–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सघन कृषि एवं बहुफसली योजना के तहत विगत वर्ष जनपद गढ़वाल में कहां-कहां क्या-क्या योजनाएं लागू की गयीं ? इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ? क्या इसका समुचित लाभ कृषकों को मिल सका ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सघन कृषि एवं बहुफसली योजना के तहत विगत वर्ष जनपद गढ़वाल में विकास खण्डवार धान एवं गेहूं की फसलों के सघन प्रदर्शन कराने का कार्यक्रम लागू किया।

इस योजना पर कुल रु० 7.66 लाख की धनराशि व्यय हुई।

जी, हां।

कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं चमोली में वितरण किये गये उन्नत बीजों का विवरण तथा वितरण हेतु विशेष योजना बनाने की मांग

126–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली गढ़वाल एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल में उन्नत बीजों के वितरण की क्या योजना है ? पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ के दूर-दराज कृषक तक इन बीजों के पहुंचाने के लिये क्या कोई विशेष योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या और कितनी सफल है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में कोई योजना बनायी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल में गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण तथा वितरण की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन कर कृषकों को वितरित करना तथा अन्य स्रोतों से उन्नत बीजों की व्यवस्था कर, उन्हें कृषकों को वितरित किया जाता है। केन्द्र पुरोनिधानित गेहूं, धान एवं तिलहन योजनाओं के अन्तर्गत उन्नत बीजों पर स्रोत पर ही कृषकों को अनुमन्य अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। राजमा, दलहन बीज पर भी कृषकों को अनुदान दिया जा रहा है। चमोली जनपद के जनजाति विकास खण्ड जोशीमठ में अधिक उपजातीय प्रजाति के बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

जी, हां।

कृषकों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिये विकास खण्डों के अन्तर्गत राजकीय कृषि बीज भण्डारों (बिक्री केन्द्रों) के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा कृषकों को बीज वितरण कराने की योजनान्तर्गत बीज सुलभ कराया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में इन बिक्री केन्द्रों तक बीज पहुंचाने में होने वाला ढुलान भाड़ा का व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना कृषकों में पूर्णतया सफल है।

कोई प्रश्न नहीं उठता है।

127 श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं जनपद चमोली गढ़वाल में विगत सत्र में कुल कितना उन्नत बीज का वितरण किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त उन्नत बीज कृषकों तक नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विगत वर्ष (92-93) में जनपद टिहरी गढ़वाल में 3070.42 कुन्तल तथा चमोली गढ़वाल में कुल 1241.92 कुन्तल उन्नत बीजों का वितरण किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद में निर्माणाधीन लोहिया अस्पताल को पूरा करने की मांग

128–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद नगर में निर्माणाधीन लोहिया अस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? उस पर कुल कितना व्यय प्रस्तावित है ? कितना धन अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है ? वर्ष 1994-95 में कुल कितने धन का प्राविधान सरकार द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

चिकित्सालय का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्य पूर्ण होने के लिये कोई तिथि निश्चित कर पाना सम्भव नहीं है । प्रश्नगत चिकित्सालय के निर्माण पर अभी तक 819 लाख रु० का व्यय प्रस्तावित है । अब तक कुल 406 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है । वर्ष 1994-95 में इस हेतु कुल कितने धन का प्राविधान कराया जा रहा है, यह सूचना वर्ष 1994-95 का आय-व्यय पारित होने के पश्चात् ही दी जानी सम्भव होगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की तहसील/परगना पन्द्रह के ग्राम मर्दीपुर में श्री खुरमुर पुत्र शिवदास को नलकूप हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

129–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आराजी नं०–255 ग्राम मर्दीपुर, प० पन्द्रह, त० व जिला वाराणसी में राजकीय नलकूप संख्या 305 मर्दीपुर लगाया गया है ? क्या यह आराजी नं०–255 खुरमुर पुत्र शिवदास (चमार) गांव मर्दीपुर की है ? यदि हां, तो कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया था और उसका मुआवजा अब तक खुरमुर को मय ब्याज के अदा न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इस संबंध में खुरमुर ने 16-3-93 व 26-12-93 को अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रकरण में श्री खुरमुर पुत्र शिवदास, ग्राम मर्दीपुर की आराजी नं०–255 की 0.058 एकड़ जमीन नलकूप के उपयोग हेतु ली गयी है । जहां तक श्री खुरमुर को मुआवजा मय ब्याज के दिये जाने का प्रश्न है, भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् ही प्रतिकर वितरण किया जाता है । प्रश्नगत मामले में कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

श्री खुरमुर ने दिनांक 16-3-93 व 26-12-93 के पत्र मुआवजे के एवज में पुत्र को सरकारी सेवा प्रदान करने हेतु दिये गये हैं । नलकूप के उपयोग हेतु ली गयी जमीन के अधिकृत वारिश के एक सहायक को उस नलकूप हेतु नलकूप सहायक के पद पर चयन में वरीयता दिये जाने का प्राविधान है किन्तु इस नलकूप पर नलकूप सहायक की नियुक्ति प्रस्तावित नहीं है क्योंकि इस पर नियमित नलकूप चालक कार्यरत है ।

130–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद पौड़ी व चमोली में उर्वरक परिवहन पर व्यय धनराशि का विवरण

131–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष जनपद पौड़ी व जनपद चमोली में उर्वरक परिवहन पर कुल कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? क्या यह राशि पर्याप्त है ? क्या यह उर्वरक सही स्थान तक पहुंच सका है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विगत वर्ष (1992-93) में जनपद पौड़ी में रु० 2.86 लाख तथा जनपद चमोली में रु० 4.00 लाख की राशि उर्वरक परिवहन पर व्यय हुई ।

जी, हां ।

उर्वरकों को विभाग के समस्त बिक्री केन्द्रों तक पहुंचाना विभाग का दायित्व है और इसके अनुसार सही स्थान तक पहुंचाया गया है ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली के समस्त विकास खण्डों में व्यक्तिगत उद्यानों की व्यवस्था हेतु राज्य सहायता का उपलब्ध कराये जाने का विवरण

132–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत उद्यानों में उन्नत किस्म की व्यवस्था पर विगत वर्ष कुल कितनी राज्य सहायता प्रदान की गयी ? जनपद पौड़ी और चमोली में यह कहां-कहां उपलब्ध करायी गयी ? क्या यह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो भविष्य में इसकी क्या खपत तय किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विगत वित्तीय वर्ष 1992-93 में व्यक्तिगत उद्यानों में उन्नत किस्म की व्यवस्था हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रु० 119.98 लाख की राज सहायता उत्तराखंड के लिये प्रदान की गयी ।

पौड़ी एवं चमोली जनपदों के सभी विकास खंडों के लिये राज सहायता उपलब्ध कराई गयी । जनपद की मांग के अनुसार यह पर्याप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव /रजिस्ट्रार द्वारा एल०टी० तथा एक्सरे टेक्निशियन प्रशिक्षण हेतु चयन में अनियमितताओं की जांच का विवरण

133–मुक्तिनाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकेल्टी, लखनऊ के सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा विभाग में भारी अनियमिततायें की जा रही हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि

सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा एल०टी० प्रशिक्षण व ऐक्स-रे टेक्निशियन के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1994 में साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र साक्षात्कार तिथि से पहले नहीं भेजा गया है ? क्या यह सही है कि बुलावा पत्र में डिस्पैच पहले है और पोस्ट आफिस में कई दिन बाद में डाला गया है जिससे परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को सही समय से साक्षात्कार पत्र न मिले सके ? क्या सरकार इस भारी अनियमितता की जांच सतर्कता विभाग से कराते हुए सचिव/रजिस्ट्रार को दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

शासन में प्राप्त शिकायतों की जांच महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य से कराई जा रही है ।

एल० टी० व एक्स-रे टेक्नीशियन के प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार दिनांक 13-1-94 से 17-1-94 तक सम्पन्न हुआ जिसके लिये बुलावा पत्र दिनांक 5-1-94 व 6-1-94 को अन्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग डाक द्वारा प्रेषित किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार के कतिपय ब्लाकों में नहर सर्विस रोड तथा नलकूप के लिये आवंटित धन तथा राजस्व वसूली का विवरण एवं अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने की मांग

134–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर के ब्लाक जमालपुर, नारायणपुर और सीखड़ में शासन ने वर्ष 92-93 में नहर सर्विस रोड तथा नलकूप के लिये कितना धन आवंटित किया है ? चुनार तहसील के कृषकों से खरीफ, रबी एवं जायद फसलों के उक्त वित्तीय वर्ष में नहर रेट के रूप में तथा अन्य कर में कितना राजस्व वसूल हुआ ? क्या इस अनुपात से स्टेट सेक्टर से धन दिया गया है ? क्या मंत्री जी अपूर्ण कार्यों के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में धन आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर के ब्लाक जमालपुर, नरायनपुर और सीखड़ में वर्ष 1992-93 में नहर सर्विस रोड हेतु 22.5 लाख रुपये तथा नलकूपों के लिये रुपये 5,26,820.00 का आवंटन हुआ था इसके अतिरिक्त मिर्जापुर जनपद योजना के अन्तर्गत रुपये 56.00 लाख परिव्यय राजकीय नलकूपों हेतु आवंटित हुआ था ।

चुनार तहसील के कृषकों से खरीफ, रबी एवं जायद फसलों के उक्त वित्तीय वर्ष में नहर रेट के रूप में रुपये 28,98,258.30 तथा अन्य कर रुपये 35,792.85 राजस्व वसूल करने हेतु जनाबन्दियां दाखिल की गयी थी राजकीय नलकूपों से महसूल के रूप में खरीफ रबी एवं जायद फसलों हेतु 2,29,446.65 रुपये वसूल हुए ।

जनपद योजना के अन्तर्गत आवंटन जनपदवार किया जाता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 1993-94 में राजकीय नलकूपों हेतु चुनार तहसील के सीखड़ ब्लाक में अपूर्ण कार्यों के लिये रुपये 25.99 लाख का परिव्यय जनपद प्लान में तथा रुपये 1.30 लाख की धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के जिला आपूर्ति अधिकारी, श्री ए० के० सिंह के विरुद्ध सतर्कता जांच कराने की मांग

135–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ के जिला आपूर्ति अधिकारी, श्री ए० के० सिंह के विरुद्ध विभिन्न जिलों में उनकी तैनाती अवधि में भ्रष्टाचार को लेकर कोई विभागीय जांच की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए सतर्कता जांच कराने पर विचार करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। इस जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी, श्री एस० के० सिंह के विरुद्ध उनके कानपुर नगर तैनाती के अवधि के एक मामले की विभागीय जांच चल रही है।

उक्त जांच पूरी हो जाने के बाद ही यदि आवश्यक हुआ तो सतर्कता जांच करायी जायेगी।

स्वास्थ्य निरीक्षका का पद चीफ फार्मेसिस्टों की भांति राजपत्रित करने की मांग

136–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला स्वास्थ्य निरीक्षिका का पद चीफ फार्मेसिस्टों की भांति राजपत्रित करने पर विचार करेंगे तथा दौरे आदि के लिये वाहन व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत मामला विचाराधीन है।

जी हां। दौरे आदि के लिये वाहन की व्यवस्था हेतु समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ जिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

जनपद गाजीपुर के पोस्ट भरौलीकलां के ग्राम विश्वम्भरपुर के ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार राय द्वारा ग्राम के विकास हेतु कराये गये कार्यों पर व्यय धनराशि का विवरण

137–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विश्वम्भरपुर, पोस्ट भरौलीकलां, जिला गाजीपुर के ग्राम प्रधान, श्री अनिल कुमार राय द्वारा गांव के विकास हेतु क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? ग्राम विश्वम्भरपुर के अन्तर्गत ऐसे कितने तालाब हैं एवं उन तालाबों से कितनी आमदनी ग्राम सभा विश्वम्भरपुर को होती है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अनिल कुमार राय, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा विश्वम्भरपुर द्वारा गांव के विकास हेतु अब तक कितना पैसा व्यय किया गया है ? ग्राम प्रधान द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर में गौरीपुर माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने की मांग

138–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री गुरुबख्श सिंह पुत्र महादेव सिंह, ग्राम गौरीपुर, जिला सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-9-90 प्राप्त कराया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना-पत्र में वर्णित गौरीपुर माइनर में प्रयुक्त भूखण्ड का मुआवजा आवेदक को न मिलने की शिकायत है ? उक्त योजना में और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मुआवजा अब तक नहीं मिला है ? क्या उनको सरकार तत्काल मुआवजा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाता है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही के बाद ही प्रतिकर वितरण किया जाता है । प्रश्नगत मामले में वैधानिक कार्यवाही तथा प्रकरण से सम्बन्धित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के सबंध में जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है ।

139–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

[4थे गुरु में अता० प्र० सं० 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया के कतिपय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों व फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को भरने की मांग

140–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तमकुहीराज, सेवरही, पी० ए० सी०, दुदही व तरयासुजान तथा न्यू० पी० ए० सी०, सलेमगढ़ बहादुरपुर, चांद दुबौली, पृथ्वीपुर, पिपराघाट पर कितने चिकित्सकों व फार्मासिस्ट्स के पद सृजित हैं तथा कितने कार्यरत हैं ? क्या रिक्त पदों को सरकार भरने की व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कुल 21 पद तथा फार्मासिस्ट के कुल 10 पद सृजित हैं । इन सृजित पदों के विरुद्ध 13 चिकित्सक तथा 10 फार्मासिस्ट कार्यरत हैं ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है तथा चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० के निदेशक डा० शिवराज सिंह के विरुद्ध सतर्कता जांच में पाये गये तथ्यों पर कार्यवाही करने की मांग

141–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० के निदेशक, डा० शिवराज सिंह के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान तथा विभागीय कितनी जांचें चल रही हैं ?

अब तक जांच में कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ? उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

डा० सिंह के विरुद्ध दो सतर्कता विभाग की जांचें तथा एक विभागीय जांच चल रही है ।

अन्तिम निर्णय होने पर ही तथ्यों के विषय में स्थिति स्पष्ट होगी ।

आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय, उ० प्र० को वर्ष 1992 से 1994 तक प्राप्त धनराशि तथा व्यय का विवरण

142–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी निदेशालय, उ० प्र० को वित्तीय वर्ष 1992-93 में और 93-94 में क्रमशः 06, 25, 33 मानक मदों में विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत कितना धन शासन द्वारा आवंटित किया गया और कितना धन आयुर्वेद विभाग द्वारा व्यय किया गया ?

श्री बलराम यादव–

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग, उ० प्र० के वित्तीय वर्ष 92-93 एवं 93-94 में 06, 25, 33 मानक मदों में विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न धनराशि शासन द्वारा आवंटित की गयी थी ।

(रु० हजार में)

मद	1992-93	1993-94
06–	94,74	96,62
25–	1,84,84	1,88,14
33–	56,67	53,80

व्यय के संबंध में सभी मूल अभिलेख सतर्कता विभाग में भेजे गये हैं । अतएव उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता (सिविल) आरक्षित की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति का विवरण

143–श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि माह जुलाई, 1993 में अवर अभियन्ता (सिविल) आरक्षित की प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वरिष्ठता क्रमांक 1824 से 4369ए तक की गयी है? क्या उक्त वरिष्ठता क्रमांक के मध्य अवशेष अवर अभियन्ता (सिविल) की प्रोन्नति का प्रकरण उ० प्र० लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद भेजने हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जुलाई, 1993 की प्रोन्नति प्रकरण नहीं भेजा गया है ? लम्बित चयनित सूची कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वरिष्ठता क्रमांक–1824 से 4369-ए के मध्य अवशेष आरक्षित वर्ग के पदों पर नियमानुसार पदोन्नति संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है ।

जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में बरदर स्केप के पास रपटा एवं पुल बनाने की मांग

144–श्री अकबर अली–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में बरदरस्केप के पास रपटा व पुल न होने के कारण पानी के तेज बहाव से कृषि योग्य सैकड़ों एवं जमीन ददरी मौजा की भूमि का कटाव होकर ऊबड़ खाबड़ हो जाती है ? यदि हां, तो रपटा निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर में बरदर स्केप के पास रपटा व पुल न होने के कारण भूमि प्रभावित होती है ।

रपटा निर्माण कार्य धन आवंटन पर निर्भर है ।

जनपद चमोली में हरियाली देवी के प्राचीन मन्दिर वाले क्षेत्र को विकसित करने की मांग

145–श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखंड विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चमोली जनपद में पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हरियाली देवी के प्राचीन मंदिर वाले क्षेत्र को विकसित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा प्रकरण पर विचार किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

146–श्री परशुराम यादव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

147–श्री परशुराम यादव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद जालौन के ब्लाक कोंच तथा नदीगांव के ग्राम प्रधानों द्वारा जे० आर० वाई० के अन्तर्गत किये गये कार्यों में धन के दुरुपयोग पर सम्बन्धित अधिकारी को दण्डित करने की मांग

148–श्री चैनसुख भारती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कोंच ब्लाक तथा नदीगांव ब्लाक के गांवों में पिछले पांच वर्षों से गांव सभा के प्रधानों द्वारा जे० आर० वाई० के अन्तर्गत किये गये कार्य के क्या बोर्ड लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्य विवरण बोर्डों के लिये सरकार से धन उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उस धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या धन दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया के तमकुही राज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

149–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तमकुही राज, देवरिया में रिक्त महिला चिकित्सक की नियुक्ति सरकार कब तक करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तमकुही राज, देवरिया में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में भूकम्प से क्षतिग्रस्त बे० पा० भवन की संख्या तथा उनके पुनर्निर्माण की मांग

150–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने बे० पा० भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? क्या सरकार द्वारा इन भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण कब तक किया जायेगा ? क्या कारण है कि सरकार द्वारा उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कुल 199 बे० पा० भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

जी हां।

क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण से पूर्व स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट प्राप्त करनी आवश्यक है, जो की जा रही है। भवनों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

151–श्री बदन सिंह–

[4थे शुक्र में अता० प्र० सं० 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद् के आयुक्त के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के संबंध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

152–श्री अक्षयवर भारती तथा श्री महबूब अली–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद् के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास को सम्बोधित एवं सचिव, कार्मिक तथा प्रमुख सचिव, वित्त को पृष्ठांकित अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 19/ग्रा०आ०परि०/93, दिनांक 5-11-93 द्वारा परिषद् में व्याप्त नियुक्तियों में व वित्तीय मामलों में घोर अनियमितताओं तथा विभागाध्यक्ष ग्रामीण आवास आयुक्त, जे० पी० सी० एस० संघ के अध्यक्ष भी हैं, के विरुद्ध अपने अधिकारों का दुरुपयोग तथा अपने संघ के हित में परिषद् के धन, स्टाफ व अन्य संसाधनों के

दुरुपयोग/व्यक्तिगत उपभोग का उल्लेख किया है उस पर विभाग/शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों पर आयुक्त, उ० प्र० ग्रामीण आवास परिषद् के स्पष्टीकरण के संबंध में कार्यवाही विभाग में प्रचलित है ।

जनपद सीतापुर में कन्ज्यूमर डिस्ट्यूम्स रिड्सेल फोरम के नामित सदस्यों की जानकारी

153–श्री अनिल कुमार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में गठित कन्ज्यूमर डिस्ट्यूम्स रिड्सेल फोरम का गठन किया जा चुका है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को नामित किया गया है? क्या मंत्री जी सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री पी० के० दीक्षित	–	अध्यक्ष
श्री राजाराम गुप्ता	–	पुरुष सदस्य
श्रीमती पुष्पा दीक्षित	–	महिला सदस्य

154–श्री लालमणि प्रसाद–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी में एल० टी० वेतनक्रम में विज्ञान तथा गणित विषयों के पदों को सृजित करने की मांग

155–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, जौरासी, जनपद अल्मोड़ा को केवल विज्ञान वर्ग की मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय में एल० टी० वेतनक्रम में विज्ञान तथा गणित विषयों के पद आज तक सृजित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पद कब तक सृजित किये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त पद शीघ्र सृजित किया जायेगा ।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में वर्ष 1991 से 1993 तक डी० आर० डी० ए० के माध्यम से अवमुक्त धनराशि एवं कार्यों का विवरण

156–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों (90-91, 91-92, 92-93) में जवाहर रोजगार योजना , दस लाख कूप योजना, पूर्वांचल निधि एवं अन्य विकास योजनाओं के तहत जो परियोजना निदेशक के माध्यम से खर्च किये गये हैं, उसका वर्षवार ब्यौरा किन-किन कार्यों पर खर्च करने का है ? कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं और कितने अधूरे हैं

तथा कितने कार्यों पर धन डी० आर० डी० ए० के माध्यम से दिया गया है और वह धन खर्च न होने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में गत तीन वर्षों 1990-91, 91-92 एवं 92-93 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत डी० आर० डी० ए० के 20 प्रतिशत अंश से क्रमशः रु० 20.50 लाख, रु० 15.42 लाख एवं रु० 14.31 लाख विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को 14 सम्पर्क मार्ग, 18 पेयजल कूप, 127 पुलिया निर्माण, एक बन्धी एवं बाउन्ड्री के निर्माण हेतु अवमुक्त किया गया है ।

दस लाख कूप योजनान्तर्गत वर्ष 90-91, 91-92 एवं 92-93 में क्रमशः रु० 48.35 लाख, रु० 127.18 लाख एवं रु० 70.72 लाख की धनराशि विभिन्न कार्यदायी योजनाओं को 70 बंधी, 44 सिंचाई कूप, 20 तालाब एवं 2 चैकडैम निर्माण हेतु अवमुक्त किया गया है ।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 90-91 में कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया था । वर्ष 91-92 में रु० 18.00 लाख एक सम्पर्क मार्ग हेतु तथा 92-93 में उसी सम्पर्क मार्ग हेतु रु० 33.33 लाख अवमुक्त किया गया है ।

डी० आर० डी० ए० के माध्यम से दिये गये धन का एवं कार्यों का विवरण ऊपर अंकित है । अन्य बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सोनभद्र के ग्राम कचनखा में राजकीय एलोपैथिक हास्पिटल में चिकित्साधिकारी एवं कम्पाउन्डर का कार्यरत होना

157–श्री विजय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ग्राम कचनखा में राजकीय एलोपैथिक हास्पिटल कब से खुला है ? शासन द्वारा वहां पर एम० बी० बी० एस० डाक्टर की पोस्टिंग अब तक न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उस अस्पताल में सन् 1978 से एक कम्पाउन्डर ही कार्यरत है और उसके लड़के को भी वहां कम्पाउन्डर बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त हास्पिटल का कम्पाउन्डर तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र से किसी भी डाक्टर की नियुक्ति कराने की कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद सोनभद्र के ग्राम कचनखा में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय वर्ष 1978 में स्थापित किया गया था ।

जनवरी, 1993 में एम० बी० बी० एस० योग्यताधारक चिकित्साधिकारी की तैनाती की जा चुकी है।

जी हां, जून, 1993 तक एक कम्पाउन्डर (अब फार्मासिस्ट) ही कार्यरत रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, जनपद बलिया द्वारा औषधि क्रय एवं साज सज्जा हेतु प्राप्त धन एवं व्यय की सतर्कता विभाग द्वारा जांच

158–श्री मुक्तिनाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, बलिया को वर्ष 1990 से 1993 दिसम्बर तक कितनी दवायें किन-किन फर्म वालों से व कितनी दवा राज्य सरकार से मरीजों को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के माध्यम से बांटने हेतु मिली थीं ? क्या यह सही है कि उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा सारी दवायें बाजार में बेंच दी जाती हैं ? क्या सरकार इसका सत्यापन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1990 से 1993 तक वर्षवार शासन से कितना-कितना पैसा दवा ख़रीदने हेतु एवं कितना पैसा साज-सज्जा हेतु डी० ए० ओ०, बलिया द्वारा प्राप्त किया गया है ? कहां-कहां पर उक्त धन खर्च किया गया है ?

श्री बलराम यादव–

शासन के संज्ञान में विभिन्न जनपदों में वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच हेतु सतर्कता विभाग को संदर्भित किये जाने के कारण आयुर्वेदिक निदेशालय एवं अन्य क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालय के तत्संबंधी अभिलेखों के साथ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया कार्यालय के अभिलेख भी सतर्कता विभाग द्वारा हस्तगत कर लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में निष्कर्ष के पूर्व उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

सतर्कता जांच के दौरान अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को दवा खरीदने तथा साज-सज्जा हेतु धन का आवंटन आयुर्वेदिक निदेशक द्वारा किया जाता है और निदेशालय के तत्संबंधी अभिलेख सतर्कता विभाग द्वारा हस्तगत कर लिये जाने के कारण उत्तर देना सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा में रानीखेत को 'ए' श्रेणी नगर घोषित करने की मांग

159–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मंसूरी व नैनीताल नगर की ही तरह रानीखेत, जिला अल्मोड़ा भी एक प्रसिद्ध पर्यटन नगर है, जहां कर्मचारियों को आवास की भारी कठिनाई है व मकान किराये की दरें भी बहुत ऊंची हैं ? यदि हां, तो क्या कर्मचारी हित में सरकार मंसूरी व नैनीताल की ही तरह रानीखेत को भी 'ए' श्रेणी का नगर घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद अल्मोड़ा स्थित रानीखेत नगर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अपर्याप्त आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के कारण कर्मचारियों को आवास की कठिनाई है तथा मकान किराया की दरें भी अत्यधिक हैं।

मंसूरी एवं नैनीताल श्रेणी "ए" की नगरपालिकाओं की श्रेणी में वर्गीकृत हैं जबकि रानीखेत न तो नगरपालिका है और न ही टाउन एरिया। रानीखेत छावनी परिषद् है। अतः मंसूरी व नैनीताल की तरह रानीखेत को प्रदेश सरकार द्वारा श्रेणी "ए" का नगर घोषित नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त प्रस्तर में बताये गये आधार पर ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के कतिपय स्थानों पर उच्चीकृत चिकित्सालय खोलने की मांग

160–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में कोई उच्चीकृत चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार खरगपुर टाउन एरिया में/इंटिया थोक/धानेपुर बाजार में उच्चीकृत चिकित्सालय खोलने की योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण एवं स्थापना जिला सेक्टर की योजना है । जिला योजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थानों का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही शासन स्तर से स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जाता है । प्रश्नगत स्थान हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक/यूनानी सेवायें, लखनऊ से सम्बद्ध उ० प्र० में लिपिक वर्ग में पिछड़े तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत

161–श्री मुक्तिनाथ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आयुर्वेदिक/यूनानी सेवायें, लखनऊ से सम्बद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में कितने तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं ? इसमें से कितने रेगुलर, कितने तदर्थ, कितने दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पूरे उ० प्र० लिपिक वर्ग स्थाई लिपिकों में से कितने जनरल और कितने पिछड़े वर्ग तथा कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनका अलग-अलग प्रतिशत क्या है ?

श्री बलराम यादव-

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, लखनऊ से सम्बद्ध पूरे उ० प्र० में दैनिक वेतन कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए तृतीय श्रेणी लिपिकीय वर्ग में कुल 453 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

278 कर्मचारी रेगुलर तथा 70 तदर्थ रूप से, 105 दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं ।

पूरे उत्तर प्रदेश में 278 स्थायी (रेगुलर) लिपिकों में से 204 सामान्य, 54 पिछड़ी जाति एवं 20 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं ।

इनका सामान्य में 74%, पिछड़ी जाति में 19% एवं अनुसूचित जाति में 7% है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प० इ० का०, परसुन्डाखाल के जर्जर भवन के नव निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने की मांग

162–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री अवगत कराने की कृपा करेंगे कि प० इ० का० परसुन्डाखाल, पौड़ी गढ़वाल के जर्जर भवन के मरम्मत व नव निर्माण के लिये सरकार अनुदान स्वीकृत कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त विद्यालय अशासकीय है और अशासकीय विद्यालयों का पूर्ण दायित्व विद्यालय की प्रबन्ध समिति का है । शासन द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भवन निर्माणार्थ रु० 20,000 (रु० बीस हजार मात्र) अनुदान स्वरूप दिये जाने की योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत उक्त विद्यालय को भी शासनादेश संख्या–1353/28-2-92-4(5)/90, दिनांक 31 मार्च, 1992 द्वारा रु० 20,000 (रु० बीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

जनपद बहराइच स्थित ग्राम राजा बौण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करने की मांग

163–श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच स्थित ग्राम राजा बौण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके 25 बिस्तर वाले अस्पताल बनाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब हुआ तथा धनराशि शासन से कब निर्गत हुई ? उक्त कार्य का प्रारम्भ कब से हुआ ? यदि कार्य नहीं शुरू हुआ, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या उक्त प्रस्ताव द्वारा निर्मित होने वाले चिकित्सालय को वहां से अन्यत्र हटा दिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा किन कारणों से ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता श्री उदय राज सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र का प्राप्त न होना

164–श्री गनपत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग द्वारा अवर अभियन्ता, श्री उदयराज सिंह के खिलाफ मछली गांव, अलगरपुर बांध एवं चेहरी बांध में हुई अनियमितता जैसे फर्जी मस्टर रोल करने एवं एग्रीमेन्ट द्वारा फर्जी तौर पर बिना कार्य कराये पैसा निकालने के संबंध में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, गोरखपुर मण्डल को शिकायती-पत्र दिनांक 28-1-93 को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त जानकारी के अनुसार अवर अभियन्ता श्री उदयराज सिंह के खिलाफ मछली गांव, अलगटपुर बांध एवं चेहरी बांध में अनियमितता जैसे फर्जी मस्टर रोल बनाने एवं एग्रीमेन्ट द्वारा फर्जी तौर पर बिना कार्य कराये पैसा निकालने के संबंध में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सिंचाई विभाग का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 28-1-93 मुख्य अभियन्ता (गण्डक), गोरखपुर को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की बरेली शाखा द्वारा बहेड़ी में आयोजित नेत्र शिविर में रोगियों की मृत्यु संबंधी प्रकरण

165–श्री मित्रसेन यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर द्वारा बरेली जनपद की शाखा के माध्यम से बहेड़ी, जनपद बरेली में संचालित किये जाने वाले माह दिसम्बर, 1993 के नेत्र उपचार कैम्प में सुश्री दुलारी व मकुरम की मृत्यु नेत्र की शल्य चिकित्सा के दौरान हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दोषी चिकित्सक/अधीक्षक/अनट्रेन्ड नर्सेज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त कैम्प में एक्सपायर्ड एनेस्थीसिया का प्रयोग करने से उक्त रोगियों की मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो उनको शासन द्वारा कब तक मुआवजा प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कैम्प श्री जे० सी० बोस, सुपरिन्टेन्डेन्ट, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर के सौजन्य एवं तत्वावधान में लगाया गया था ? यदि हां, तो शासन उक्त 80 वर्षीय वृद्ध सर्जन को कब तक उस पद से हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की बरेली शाखा द्वारा बहेड़ी, जनपद बरेली में माह दिसम्बर, 1993 में नेत्र शिविर आयोजित किया गया था। इस नेत्र शिविर में सुश्री दुलारी की मृत्यु एनेस्थीसिया दिये जाने तथा नेत्र आपरेशन के पूर्व ही हृदय गति रुक जाने के कारण हुई थी। मुकुरम नाम का कोई नेत्र रोगी उक्त शिविर में भर्ती नहीं हुआ था और न ही इस नाम के किसी रोगी की मृत्यु ही हुई है।

चूंकि उक्त मृत्यु के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है इसलिये किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

सीतापुर नेत्र चिकित्सालय एक स्वायत्तशासी संस्था है एवं उसमें अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती व उन्हें हटाने के लिये संस्था ही सक्षम है। शासन स्तर से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण किये हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

166–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण किये हुए कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं ? क्या अभी तक उनका स्थायीकरण नहीं हुआ है ? क्या शासनादेशानुसार उनका स्थायीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्थायीकरण के संबंध में शासनादेश की अवहेलना किये जाने की जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में अर्द्ध निर्मित पिनाकोट नहर के लम्बित होने के कारण तथा उस पर व्यय धनराशि का विवरण

167–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पिनाकोट नहर कब से अधूरी पड़ी है ? इसके लम्बित होने के क्या कारण हैं ? इस नहर पर अभी तक कुल कितना कार्य हुआ और कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में पिनाकोट नहर का निर्माण वर्ष 1987-88 में आरम्भ किया गया था तथा इस नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1990-91 से अधूरा पड़ा है ।

नहर के शीर्ष भाग में वन भूमि की अनुपलब्धता के कारण नहर के कार्य लम्बित पड़े हैं ।

नहर पर 1.588 कि०मी० लम्बाई में कार्य हो चुका है तथा नहर निर्माण पर रु० 3.29 लाख व्यय हो चुका है ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग में स्थित ओरानन्द सरस्वती महाविद्यालय की स्थाई सम्बद्धता संबंधी प्रकरण

168–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओरानन्द सरस्वती महाविद्यालय, देव प्रयाग, टिहरी गढ़वाल को 1989 से अब तक स्थायी मान्यता न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस महाविद्यालय को अनुदान सूची में रखने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्थायी सम्बद्धता का प्रकरण अभी विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रा० इ० का० किलकिलेश्वर, जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

169–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का०, किलकिलेश्वर, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था ? कितना निर्माण कार्य हो चुका है ? कितना निर्माण कार्य अब भी अवशेष है ? क्या सम्प्रति निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? निर्मित कमरों की देखरेख कौन कर रहा है ? यदि निर्मित कमरों की देखरेख कोई नहीं कर रहा है, तो क्यों ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय इण्टर कालेज, किलकिलेश्वर, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कार्य दिसम्बर 1981 में शुरू किया गया था।

छात्रावास सहित कुल 18 यूनिट भवन बन चुका है। संस्था को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

1 यूनिट मुख्य भवन के भूतल का निर्माण हो चुका है तथा प्रथम तल का निर्माण कार्य अवशेष है।

जी हां।

पुनरीक्षित आगणन प्राप्त किया जा रहा है।

निर्मित कमरों की देखरेख संस्था द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपर्युक्तानुसार कोई नहीं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के डाडामण्डी में क्रीड़ास्थल बनाने की मांग

170–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाडामण्डी, पौड़ी गढ़वाल के क्रीड़ास्थल हेतु बौंठा वालों ने जमीन दान दी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्रीड़ास्थल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों तुलसीपुर एवं हरैया सतघरवा में वर्ष 1993-94 में सिंचाई मद में व्यय धनराशि का विवरण

171–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्डों क्रमशः तुलसीपुर एवं हरैया सतघरवा में सिंचाई मद में कुल कितनी धनराशि वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में व्यय की गयी है एवं वर्ष 1993-94 में कितनी धनराशि किस सिंचाई योजना के अन्तर्गत व्यय की जा रही है ? इस

धनराशि के व्यय किये जाने पर कुल कितनी भूमि को सिंचाई लाभ प्राप्त हुआ और कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई अथवा वृद्धि की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों क्रमशः तुलसीपुर एवं हरैया सतघरवा में सिंचाई मद में वर्ष 1991-92 एवं 92-93 में कुल 143.42 लाख धनराशि व्यय की गई ।

वर्ष 1993-94 में योजनावार निम्नानुसार धनराशि व्यय का प्राविधान है ।

(1) इण्डोडच नलकूपों के अवशेष कार्यों हेतु ।	रु० 2,79,537.00
(2) राजकीय नलकूपों के लिये पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत प्राप्त ।	रु० 6,40,000.00
योग :	रु० 9,19,537.00

2700 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ ।

सिंचाई विभाग द्वारा इसका आंकलन नहीं किया गया है ।

जनपद गोण्डा के हरैया सतघरवा विकास खण्ड में सिंचाई एवं पेयजल हेतु रिंग बोरिंग कराने की मांग

172–श्री रिजवान जहीर खां–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड हरैया सतघरवा के सम्पूर्ण क्षेत्र में न तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है और न ही पेयजल ही सामान्यतः प्राप्त हो पाती है जिससे मनुष्यों एवं पशुओं को अत्यन्त कष्ट है ? यदि हां, तो क्या इस समस्या के निवारण हेतु संदर्भित क्षेत्र में "रिंग बोरिंग" द्वारा भूगर्भ जल प्राप्त करने के प्रयास वर्षों पूर्व किये गये थे एवं क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण भी किया गया था, उक्त प्रयासों एवं सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या है ? उपरोक्त संदर्भित विकास खण्ड में सिंचाई एवं पेयजल हेतु "रिंग बोरिंग" द्वारा भूगर्भ जल प्राप्त करने की क्या किसी योजना पर विचार व कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सिंचाई विभाग से संबंधित नहीं है ।

विकास खण्ड हरैया सतघरवा का उत्तरी भाग राजकीय नलकूप के निर्माण हेतु अनुपयुक्त है । दक्षिण भाग में भी जियोफीजिकल लागिंग स्टेटा का सूक्ष्म निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि भूगर्भ में फाइन सेन्ड के साथ क्ले मिला हुआ एक्यूफर पतली परतों में है जिस कारण राजकीय नलकूप का सफल निर्माण सुनिश्चित नहीं है ।

सिंचाई हेतु नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्लान में प्राविधान होने पर, फीजिकल स्थान पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के फलस्वरूप सिंचाई हेतु राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाता है ।

अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति संबंधी शासनादेश का क्रियान्वयन

173–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या बी–23/सेक/15/पांच-91/134/87 टी० सी०, दिनांक 27-2-91 द्वारा अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त करने के संबंध में निदेशक (होम्योपैथी) को आदेश दिया गया था ? निदेशक (होम्योपैथी) को उक्त शासनादेश प्राप्त होने के उपरान्त प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर किस-किस को और कहां-कहां नियुक्ति प्रदान की गयी है ? निदेशक (होम्योपैथी) ने उक्त शासनादेश के अनुपालन में नियमानुसार पर्वतीय जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेश निर्गत न किये जाने के क्या कारण हैं ? शासनादेश दिनांक 27-2-91 तथा स्वास्थ्य मंत्री के आदेश दिनांक 22-3-91 तथा 29-3-91 का क्रियान्वयन करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

शासन को पत्र दिनांक 27-2-91 डा० विमल चन्द्र कटियार के अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति विषयक प्रार्थना-पत्र पर निदेशक को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

शासन के पत्र दिनांक 27-2-91 के विषय में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस प्रकार के कोई आदेश दिनांक 22-3-91 तथा 29-3-91 प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः उनके क्रियान्वयन का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत थैलीसैंण, बीरोखाल तथा पोखड़ा विकास खण्डों में स्थित क्षतिग्रस्त बेसिक विद्यालय के भवनों के पुनः निर्माण की मांग

174–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थैलीसैंण, विकास खण्ड बीरोखाल, विकास खण्ड पोखड़ा स्थित क्षतिग्रस्त बेसिक विद्यालय भवनों के पुनः निर्माण के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या छात्रों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण किया जा रहा है ? क्या आगामी समय में भी विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कहां-कहां कितने भवनों का और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विश्व बैंक की सहायता से ''सभी के लिये शिक्षा परियोजना'' के अन्तर्गत भवनों के पुनर्निमाण की योजना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

विश्व बैंक की सहायता पर निर्भर करता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग, अगस्त्यमुनी आदि विकास खण्डों में वर्तमान विद्यालयों की संख्या तथा नये विद्यालय खोलने की मांग

175–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड गैरसैंण, विकास ख़ण्ड कर्णप्रयाग, विकास खण्ड नारायणबगड़ की कमीरी पट्टी एवं विकास खण्ड अगस्त्यमुनी की धनपुर पट्टी में कुल कितने जूनियर विद्यालय मौजूद हैं ? इनमें से कितने विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं ? वर्तमान एवं आगामी समय में कुल कितनी ग्राम सभाओं में नये विद्यालय खोले जायेंगे ? क्या यह संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या इनकी संख्या बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास खण्ड गैरसैंण, कर्णप्रयाग, अगस्त्यमुनि तथा नारायणबगड़ में 237 जूनियर बेसिक विद्यालय तथा 48 सीनयिर बेसिक विद्यालय हैं । 237 जूनियर बेसिक विद्यालयों तथा 42 सीनियर बेसिक विद्यालयों के भवन उपलब्ध हैं ।

जिला बेसिक शिक्षा समिति के द्वारा विद्यालयों को खोलने का निर्णय मानक एवं सर्वेक्षण के अनुसार लिया जायेगा ।

मानकों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम सभा–गौरा में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1992-93 में कराये गये कार्यों पर व्यय धनराशि का विवरण

176–श्री तेजभान सिंह तथा श्री जगदम्बा सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, जौनपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 92-93 में कितनी धनराशि गांव सभा को अवमुक्त की गयी है ? कितने कार्य गांव सभा द्वारा कराये गये हैं और उनका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि वर्ष 92-93 में उक्त गांव सभा में जवाहर रोजगार योजना में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जिला

विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 92 में कोई जांच की गयी थी और जांच में काफी अनियमिततायें पायी गयीं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, जौनपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मु० 45416.00 रु० अवमुक्त किया गया था ।

गांव सभा द्वारा सम्पर्क मार्ग पुलिया पर मिट्टी डालने का कार्य, खड़न्जा निर्माण, हैण्ड पम्प एवं वृक्षारोपण आदि का कार्य कराया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड चन्दौस के अन्तर्गत ग्राम–वामौती के ग्राम प्रधान श्री भरत सिंह द्वारा जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धन के उपयोग का विवरण

177–श्री हरी शंकर माहौर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में विकास खण्ड चन्दौस के अन्तर्गत ग्राम सभा वामौती के लिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना रुपया ग्राम के विकास के लिये श्री भरत सिंह, प्रधान के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? उक्त प्रधान ने इस पैसे से कितने मीटर खड़ंजा आदि किस-किस मद में गांव के विकास के लिये किन-किन मजदूरों के द्वारा कितनी-कितनी मजदूरी दर्शाकर धन व्यय किया है ? क्या कोई फर्जी मस्टर रोल बनाकर भी पेमेन्ट किया गया है ? क्या गांव के सही विकास की जांच करा ली गयी है ? क्या गांव के विकास कराने में धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या मौजूदा प्रधान ने अपने धन का दुरुपयोग करते हुए कुछ ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा किया है ? यदि हां, तो उक्त प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा वामौती के प्रधान श्री भरत सिंह को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 89-90 से 93-94 तक रु० 3,27,783.00 प्राप्त हुआ है ।

उक्त प्रधान द्वारा 4500 वर्गमीटर खड़न्जा तथा 600 मीटर खड़न्जा निर्माण कराया गया है । इसके अतिरिक्त रु० 16,000 प्राइमरी पाठशाला की दीवार चारो तरफ एवं शौचालय तथा अन्य मरम्मत पर व्यय किया है । मु० 20,000 रु० वर्ष 89-90 से 90-91 तक निर्बल वर्ग आवास समूह खातों में स्थानान्तरित किया है जिन मजदूरों के नाम मस्टररोल में दर्शाये गये हैं उन मजदूरों द्वारा कार्य किया गया है तथा उन्हें भुगतान किया गया है ।

इस संबंध में समय-समय पर निरीक्षण किया गया है ।

जी नहीं । धनराशि दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लउआसाथ के ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की जांच रिपोर्ट

178–श्री उमाकान्त यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के ग्राम सभा लउआसाथ के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 1989 से वर्ष 1993 तक जवाहर रोजगार योजना व अन्य मदों से पैसा लेकर दुरुपयोग किया है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त ग्राम प्रधान द्वारा बिना कार्य कराये ही लाखों रुपये का दुरुपयोग किया है ? क्या सरकार इनके द्वारा कराये गये पूरे कार्यों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं, जांच में दुरुपयोग किया जाना सिद्ध नहीं हुआ है, अतः दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

179–श्री बदन सिंह–

[4थे शुक्र में अता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद स्थित–साकेत डेयरी अयोध्या में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

180–श्री परशुराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी दुग्ध संघ अयोध्या, फैजाबाद द्वारा संचालित "साकेत डेयरी अयोध्या" में व्याप्त भ्रष्टाचार के विशिष्ट मामलों की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा "प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी लिमिटेड, 21 पार्क रोड, लखनऊ" को भेजा गया शिकायती-पत्र दिनांक 23-12-93 उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के उक्त शिकायती-पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है ? इस मामले में क्या-क्या जांच करायी गयी और किन-किन लोगों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

साकेत डेयरी, फैजाबाद के दो कर्मचारियों (श्री शिव शंकर सिंह, अवर अभियन्ता एवं श्री सुरेश प्रताप सिंह, सुपरवाइजर) के विरुद्ध प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फैडरेशन लि०, 29–पार्क रोड, लखनऊ को संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध संघ में मनमानी करने, भ्रष्टाचार फैलाने तथा विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई थी । प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र प्राप्त होने से पूर्व भी उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अन्य स्रोतों से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर प्रारम्भिक जांच करायी गई । प्रारम्भिक जांच में श्री शिव शंकर सिंह, अवर अभियन्ता को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिये जा चुके हैं

उन्हें दुग्ध संघ फैजाबाद से हटा भी दिया गया है । श्री एस० पी० सिंह के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में आरोप की प्रथम दृष्टया पुष्टि नहीं हुई ।

(इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा "महात्मा गांधी का यह अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान," "मायावती को गिरफ्तार करो" "राज्य सभा की सदस्यता से बर्खास्त करो" आदि नारे निरन्तर लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 3 से 9 तक को स्थगित करके मैं मद संख्या 10 ले रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के माह अप्रैल, मई और जून, 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लेखानुदान का विवरण

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1994-95 के माह अप्रैल, मई और जून, 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 9 मार्च, 1994 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 43,25,64,16,000 रुपये से अधिक न हो ।

(किसी सदस्य ने उक्त प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट नहीं किये)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1994-95 के माह अप्रैल, मई और जून, 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण जो 9 मार्च, 1994 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 43,25,64,16,000 रुपये से अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां बांटी गईं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994

1 अप्रैल, 1994 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1994 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1994-95 के लिये 57,43,94,23,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1994 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 57,43,94,23,000 रुपये (केवल सत्तावन अरब, तैंतालिस करोड़, चौरानबे लाख, तेइस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	2,95,47	*3*	2,95,50
		पूंजी	..	..	..
2	आवास विभाग ..	राजस्व	4,69,37	*10,83,75*	15,53,12
		पूंजी	20,90,00	*6,60,00*	27,50,00
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	9,69	..	9,69
		पूंजी	1,25	..	1,25
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	1,19,96	*3*	1,19,99
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	6,78,26	*50*	6,78,76
		पूंजी	1,58,75	..	1,58,75
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	8,51,16	*1,51*	8,52,67
		पूंजी	4,34	*1,43*	5,77
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	45,02	*16,29*	61,31
		पूंजी	22,26,25	*99,51*	23,25,76
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	8,34,38	..	8,34,38
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	63,70	..	63,70
		पूंजी	2,23,04,25	..	2,23,04,25
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	10,23,53	*4,53*	10,28,06
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	1,52,03	..	1,52,03
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	86,19,99	*78*	86,20,77
		पूंजी	53,53,13	*13*	53,53,26

अतिरिक्त विशेषांक

12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	13,08,86	..	13,08,86
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	12,50	..	12,50
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	2,92,72,35	*13*	2,92,72,48
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	4,24,38	..	4,24,38
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	27,82,45	*5*	27,82,45
	(पंचायती राज)	पूंजी	..	..	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	24,23,71	*13*	24,23,84
		पूंजी	27,11	..	27.11
16	कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (दुग्धशाला	राजस्व	2,74,08	*1*	2,74,09
	विकास)	पूंजी	6,00,25	..	6,00,25
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	3,61,62	*1*	3,61,63
		पूंजी	50	..	50
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	5,05,43	*5,97,94*	11,03,37
		पूंजी	1,82,07,20	*3,90,63*	1,85,97,83
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	55,93	..	55,93
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान मंडल

1	2		3		
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	23,89	*90,87*	1,14,76
		पूंजी	..	..	..
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	12,69,46	*1,25,22*	13,94,68
		पूंजी	4,42,78,15	*17,50,13*	4,60,28,28
22	खेल विभाग	राजस्व	1,89,81	..	1,89,81
		पूंजी	1	..	1
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	7,08,08	*2,45*	7,10,53
		पूंजी	..	*1,28*	1,28
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	4,28,17	*4,68,16*	8,96,33
		पूंजी	20,26,00	*1,20,25*	21,46,25
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	11,55,55	*1*	11,55,56
		पूंजी	2,00,00	..	2,00,00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	2,47,36,84	*14,93*	2,47,51,77
		पूंजी	1,25,00	*18,38*	1,43,38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	14,09,51	..	14,09,51
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6,91,53	..	6,91,53
		पूंजी	..	..	..
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	*29,15*	29,15
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	15,45	..	15,45
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	24,14,09	*6*	24,14,15
		पूंजी	17,51	..	17,51
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	78,12,57	*25*	78,12,82
		पूंजी	7,88,72	..	7,88,72
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	19,58,04	*1*	19,58,05
		पूंजी	21,37	..	21,37
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	4,70,05	..	4,70,05
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	38,25,94	*10*	38,26,04
		पूंजी	1,69,42	..	1,69,42
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	36,81,97	*13*	36,82,10
		पूंजी	49,50	..	49,50
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	1,05,86,50	..	1,05,86,50
		पूंजी	25,00	..	25,00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	1,46,06	..	1,46,06
		पूंजी	..	..	..
39	भाषा विभाग	राजस्व	15,38	..	15,38
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	18,56,63	..	18,56,63
		पूंजी	15,00,00	..	15,00,00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	4,87,95	..	4,87,95
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

42	न्याय विभाग	राजस्व	23,36.61	*3,81.73*	27.18.34
		पूंजी	1.25.00	..	1.25.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व	3.18.27	*3*	3.18.30
		पूंजी	2.50	..	2.50
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	1.43.92	..	1.43.92
		पूंजी	6.11.21	..	6.11.21
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	45.26	..	45.26
		पूंजी	1.25	..	1.25
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	15.23	..	15.23
		पूंजी	..	..	..
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	21.01.24	*75.01*	21.76.25
		पूंजी	5.29.82	..	5.29.82
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	21.70	*68*	22.38
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	14,45,95	..	14,45,95
		पूंजी	6,25	..	6,25
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	16,24,29	9	16,24,38
		पूंजी	1,80,00	..	1,80,00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	11,26,10	*18,95,41*	30,21,51
		पूंजी	35,31	*6,87*	42,18
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	61,77,16	*38,13*	62,15,29
		पूंजी	2,68	*2,63*	5,31
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	28,30	..	28,30
		पूंजी	25	..	25
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	50,02,34	*1,04*	50,03,38
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	2,84,87	*14,08*	2,98,95
		पूंजी	4,22,22	*25*	4,22,47

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	2,01,96	*7,38*	2,09,34
		पूंजी	2,30,77	*3*	2,30,80
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	*1*	1
		पूंजी	1,07,05	*23*	1,07,28
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	37,10,02	*3*	37,10,05
		पूंजी	1,31,47,00	*13*	1,31,47,13
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	4,19	..	4,19
		पूंजी	..	..	..
60	वन विभाग	राजस्व	21,75,17	*5*	21,75,22
		पूंजी	3,88	..	3,88
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,50,11,59	*7,30,66,34*	8,80,77,93
		पूंजी	15,13,75	*5,36,27,27*	5,51,41,02
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	1,16,40,15	*3,84*	1,16,43,99
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषगाार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	4,49,51	..	4,49,51
		पूंजी	22,30	..	22,30
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	1,59,92,09	..	1,59,92,09
		पूंजी	..	..	..

अतिरिक्त विशेष भाग

1	2		3		
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	7,78,62	*1*	7,78,63
		पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	8,49	*13,22,78*	13,31,27
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	90,75	*3,48*	94,23
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	2,51,48	*6,32*	2,57,80
		पूंजी	..	..	..
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	80,00	..	80,00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	4,68,27	..	4,68,27
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	3,72,46,07	*35,59,39*	4,08,05,46
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	2,42,20,27	*22,51,39*	2,64,71,66
		पूंजी	4,88	..	4,88
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	61,25,64	*67,71*	61,93,35
		पूंजी	1,40,25	..	1,40,25
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	1,94,62	..	1,94,62
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान	राजस्व	2,33,90	..	2,33,90
	एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	8,73,51	*1*	8,73,52
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	12,58,67	*5*	12,58,72
		पूंजी	28,10	..	28,10
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	12,82,72	*1*	12,82,73
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	25,99,51	*1*	25,99,52
	(समाज कल्याण)	पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों	राजस्व	49,83,07	*1*	49,83,08
	एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	पूंजी	12,51	..	12,51

1	2		3		
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	1,13,45	*1*	1,13,46
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	..	..	..
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,47,62	*7,48*	1,55,10
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	4,75	*1*	4,76
		पूंजी	2	*1*	3
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	10,41	*1*	10,42
		पूंजी	..	..	..
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	14,18	..	14,18
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	3,55,61	..	3,55,61
		पूंजी	..	..	..
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	1,99,46	*1*	1,99,47
		पूंजी	6,12	..	6,12
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	13,78	*1*	13,79
		पूंजी	9,00	..	9,00
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	16,00,65	*29*	16,00,94
		पूंजी	..	..	..

उदय सरकार विधान सभा

90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	72,26	..	72,26
		पूंजी	..	..	..
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	3,17,68	*1*	3,17,69
		पूंजी	..	..	..
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	1,71,71	*1*	1,71,72
		पूंजी	6,97	..	6,97
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	57,47,18	*25*	57,47,43
		पूंजी	30,81,39	..	30,81,39
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1,62,89,68	*1*	1,62,89,69
		पूंजी	1,41,27,36	*25*	1,41,27,61
95	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	47,58,21	*5,01*	47,63,22
		पूंजी	31,97,13	*5,50*	32,02,63
	योग :	राजस्व	29,41,66,57	*8,51,45,16*	37,93,11,73
		पूंजी	13,83,97,59	*5,66,84,91*	19,50,82,50
	कुल योग :		43,25,64,16	*14,18,30,07*	57,43,94,23

उत्तरांचल विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपिता का यह अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, मायावती को गिरफ्तार करो, राज्य सभा की सदस्यता से बर्खास्त करो के नारे लगाए जाते रहे)

नियम–311, 301, तथा 300 की प्राप्त सूचनाओं को निरस्त किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 311, 301 तथा नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ), को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :–

(1) उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) विधेयक, 1994, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मार्च, 1994 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 3 मार्च, 1994 को ही विधान परिषद् सचिवालय में

प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि :–

(2) उत्तर प्रदेश विनियोग (1993-94 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1994 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मार्च, 1994 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रमाणित किया गया था और दिनांक 8 मार्च, 1994 को ही विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मार्च, 1994 को वापस प्राप्त हो गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

कार्य-स्थगन के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सभी को अस्वीकृत किया जाता है।

(घोर व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत.....

एक सदस्य–

आपको राष्ट्रपिता की चिन्ता नहीं है, यह सरकार कैसे अपनी कार्यवाही पूरी कर ले, इसकी आपको चिन्ता है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इसमें जे० के० जूट मिल कानपुर की अवैध बन्दी के कारण 4500 मजदूरों के बेकार हो जाने के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रंगनाथ एवं श्री हरीश कुमार गंगवार की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार की जाती है । श्री विश्राम सिंह यादव की वैश्य समाज की उपजातियों के समान दोसर वैश्य उप जाति को भी पिछड़ी जाति में शामिल किये जाने की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत की जाती है । प्रदेश के मेडिकल कालेजों में रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये छात्रों को उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद वेतन भुगतान न किये जाने के संबंध में श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री रामपाल सिंह सैनी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं प्रदेश के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों विशेषकर जनपद पीलीभीत की नगर पालिका बीसलपुर तथा टाउन एरिया बिलसन्डा के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के संबंध में श्री राम सरन वर्मा की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 17, 18, 19 एवं 20 के अन्तर्गत जो वक्तव्य हैं, उनको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

इलाहाबाद शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री गिरधर गोपाल गुलाटी को असामाजिक अपराधी तत्वों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

। प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 25-2-94 को समय 13.45 बजे श्री गिरधर गोपाल गुलाटी, निवासी 53 लांडर रोड, इलाहाबाद द्वारा थाना सिविल लाइन पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि जब वह 12 बजे दोपहर के लगभग गुप्ता आटो सेल्स के सामने खड़ी अपनी कार का दरवाजा खोल रहे थे की अचानक नफीस अहमद व अब्बास अपने चार साथियों सहित आकर गाली गलौज करते हुए उनकी कालर पकड़ कर गला दबाने का प्रयास किये । इसी बीच अब्बास व एक अन्य आदमी पीछे से पकड़ कर कट्टा लगा दिए तथा नफीस ने मुक्के से मारा और जान से मारने की धमकी दी । भीड़ इकट्ठा होते ही मुल्जिम मौके से भाग गये ।

उक्त सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन में अ० सं० 123/94 धारा 147/323/504/506 भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत कर विवेचना तत्काल प्रारम्भ की गई । घटनास्थल के निरीक्षण से अपराध धारा 148/149 भा० द० वि० का भी होना पाया गया जिसके कारण अभियोग में उक्त धारा भी जोड़ दी गई तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके आवास पर दबिशें दी गईं । अभियुक्तों के फरार हो जाने के कारण उनके सम्पत्ति की कुर्की हेतु न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु वकीलों की हड़ताल के कारण कुर्की आदेश नहीं मिल पाया । अभियुक्तों की लगातार गिरफ्तारी के प्रयास के बाद नामजद अभियुक्त नफीस अहमद व अब्बास दिनांक 4-3-94 को गिरफ्तार हुए । मुख्य दण्डाधिकारी (विशेष) की न्यायालय द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तों को जातीय मुचलका पर रिहा करते हुए अगली सुनवाई हेतु दिनांक 20-3-94 की तिथि निश्चित की गई है । विवेचनोपरान्त उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 6-3-94 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है । शेष अभियुक्तों के संबंध में विवेचना जारी है ।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 107/116 जा० फौ० के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा चुकी है । घटना को लेकर जनता में किसी भी प्रकार का भय अथवा असन्तोष व्याप्त नहीं है । ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वैयक्तिक सहायक परीक्षा, 1992 में कथित रूप से की गई गम्भीर अनियमितता, पक्षपात, अभ्यर्थियों के उत्पीड़न तथा परीक्षा से पूर्व प्रश्न-पत्र आउट होने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

। प्रश्नगत मामले में सचिव लोक सेवा आयोग से आख्या प्राप्त की गई जिसके अनुसार यह आरोप सर्वथा निराधार है कि लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र पहले ही आउट हो चुका था तथा यह प्रश्न-पत्र खुले बाजार में बेचा जा रहा था । आयोग की परीक्षाओं प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर आयोग के प्रतिनिधि तैनात रहते हैं इलाहाबाद में प्रश्न-पत्र परीक्षा की तिथि को परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सील पैकेट्स में केन्द्र परीक्षकों को सौपे जाते हैं यह सील्ड लिफाफे आयोग के प्रतिनिधि की उपस्थित में परीक्षा प्रारम्भ होने के पन्द्रह मिनट पूर्व खोले जाते हैं और केन्द्र पर्यवेक्षक द्वारा वितरित किये जाते हैं वितरण के उपरान्त अवशेष प्रश्न पत्र केन्द्र पर्यवेक्षक की अभिरक्षा में अलमारी में बन्द रहते हैं। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के फलस्वरूप जो प्रश्न-पत्र वितरण में शेष रह जाते

नोट :-। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :-। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं उन्हें परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घंटे के भीतर वापस लेकर केन्द्र पर्यवेक्षक अपनी अभिरक्षा में रख लेते हैं ।

इस परीक्षा में सभी केन्द्रों से प्राप्त पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार दिनांक 6 फरवरी, 1994 को परीक्षा सकुशल सम्पन्न होने की सूचना प्राप्त हुई है। कहीं से भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई सूचना न तो केन्द्रों से प्राप्त हुई हैं और न ही परीक्षा के दौरान निरीक्षण हेतु भेजे गये अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था या अनियमितता देखने को मिली । प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर समुचित संख्या में पुलिस बल भी परीक्षा के सफल संचालन हेतु तैनात था । वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त आरोप असत्य एवं निराधार है ।

जहां तक दिनांक 7-2-1994 को आशुलेखन की परीक्षा में घोर अनियमितता का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि हिन्दी आशुलेखन तथा टंकण की परीक्षा दिनांक 7-2-94 से 11-2-94 तक आयोग परिसर में स्थित परीक्षा भवन के दोनों तलों (भूमि तल एवं प्रथम तल) पर सम्पन्न हुई । परीक्षा भवन प्रथम तल में पर्यवेक्षक की आख्या के अनुसार परीक्षा उपरोक्त अवधि में शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से निर्देशानुसार सम्पन्न हुई ।

परीक्षा भवन के भूमि तल में पर्यवेक्षक की आख्या के अनुसार दिनांक 7-2-94 को परीक्षा 11.00 बजे प्रारम्भ हुई । 35-35 अभ्यर्थियों की टोलियां बनाई गई । डिक्टेशन की व्यवस्था परीक्षा भवन से सम्बद्ध एक कक्ष में थी । प्रथम चार टोलियों की परीक्षा, जिसमें टोली संख्या–1 से 4 तक थी, में किसी अनियमितता/व्यवधान की शिकायत नहीं प्राप्त हुई । जब टोली संख्या–1,2,3 व 4 ट्रान्सक्रिप्सन की कार्यवाही कर रही थी तो इसी बीच अचानक विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई । जेनेरेटर चलाने की व्यवस्था की गई जिसमें दस मिनट का समय लगा । इस समय तक टोली संख्या–1 अपना समस्त कार्य समाप्त कर चुकी थी, टोली संख्या–2 का दो मिनट का समय शेष था तथा टोली संख्या–3 का दस मिनट का समय बचा था । अतः इन्हें समय वृद्धि उपरोक्तानुसार दे दी गई और उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया । टोली संख्या–4 के ट्रान्सक्रिप्सन शुरू होते ही बिजली चली गई थी, अतः उन्हें पूरा समय दिया गया । वह समय वृद्धि हाल ही में मुख्य परीक्षा सहायक द्वारा उद्घोषित भी की गई थी । उसी समय टोली संख्या–5 के अभ्यर्थी डिक्टेशन ले रहे थे । इस बैच के अभ्यर्थियों ने त्रुटिपूर्ण डिक्टेशन की शिकायत की, जिस पर पर्यवेक्षक द्वारा छान-बीन के बाद यह पाया गया कि डिक्टेशन में त्रुटि थी और इसकी पुष्टि स्पीड चेकर तथा टेक्रट चेकर द्वारा भी की गई । अभ्यर्थी डिक्टेशन से असंतुष्टि व्यक्त कर रहे थे और पुनः डिक्टेशन के लिए दृढ़ थे । इसका लाभ उठाकर पूर्व बैच के अभ्यर्थी भी यह मांग करने लगे कि उनको दिये गये डिक्टेशन में भी त्रुटि थी तथा अपनी मांग को लेकर शोर शराबा व अव्यवस्था उत्पन्न करने लगे एवं इन टोलियों के अभ्यर्थियों ने बाहर एकत्र होकर नारा लगाना शुरू कर दिया और परीक्षा हाल के दरवाजों को पीटना व उन पर पत्थर फेकना प्रारम्भ कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए हाल के अन्दर परीक्षा स्थगित हो गई और भूतल के पर्यवेक्षक ने इस अव्यवस्था की सूचना प्रभारी सचिव व परीक्षा नियंत्रक को दिया ।

इन दोनों अधिकारियों ने भूतल के परीक्षा हाल में जाकर स्थिति का जायजा लिया जिससे बैच नम्बर–5 के अभ्यर्थियों को दिये गये डिक्टेशन को त्रुटिपूर्ण बताया गया और इसी से पूरी स्थिति का अव्यवस्थित एवं उग्र होना पाया गया । बाहर आकर उत्तेजित एवं आक्रामक अभ्यर्थियों से किस प्रकार समझा-बुझाकर वार्ता की गई, क्योंकि पुलिस के अभाव में भीड़ को नियंत्रित करने का कोई विकल्प नहीं था तथा चल रही परीक्षा के भी बाधित होने की पूर्ण सम्भावना थी । उत्तेजित अभ्यर्थियों का कथन था कि टोली संख्या–1, 2, 3 व 5 को दिया गया डिक्टेशन त्रुटिपूर्ण था तथा टंकण के दौरान बिजली चले जाने के फलस्वरूप इस व्यवधान के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया । उपरोक्त अव्यवस्था को देखते हुए अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया गया कि यदि डिक्टेशन में कोई त्रुटि हुई है तो इन टोलियों के असन्तुष्ट अभ्यर्थियों की परीक्षा अगले दिन कराई जायेगी । परन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा । इसके उपरान्त अभ्यर्थी शान्त हो गये और परीक्षा का कार्य उस दिन शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ । दिनांक 8-2-94 को टोली नम्बर–5 की पुनः परीक्षा हुई तथा टोली

संख्या–1, 2 व 3 के कुल 105 अभ्यर्थियों में से मात्र 27 अभ्यर्थियों ने दिनांक 8-2-94 को परीक्षा दी अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग का आरोप सर्वथा निराधार है ।

पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के अनुसार टोली नम्बर–5 की परीक्षा दिनांक 7-2-94 को नहीं हुई थी, अतः उनके द्वारा उक्त टोली की परीक्षा दिनांक 8-2-94 को कराने का निर्णय लिया गया व इस टोली की परीक्षा दिनांक 8-2-94 को कराई गई । पर्यवेक्षक के इस निर्णय को मा० आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया ।

टोली संख्या–1, 2, व 3 के असन्तुष्ट अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा भी दिनांक 8-2-94 को ली गई परन्तु पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि उपरोक्त तीनों टोलियों की दिनांक 7-2-94 को ली गई परीक्षा में कोई त्रुटि नहीं थी अतः इन टोलियों के जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 8-2-94 को दोबारा परीक्षा दी थी, उसे मा० आयोग द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया ।

जहां तक डिक्टेशन के प्रश्न-पत्रों के आउट होने का आरोप है यह सर्वथा निराधार है । इस आरोप की पुष्टि में कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है दिनांक 9-2-94 को बोले गये प्रश्न-पत्र की तथाकथित प्रति अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन दिनांक 14-2-94 के साथ प्राप्त हुई है । प्रश्न-पत्र की यह प्रति स्मृति के आधार पर अभ्यर्थियों के सम्मिलित प्रयास से बनाई गई प्रतीत होती है । आयोग के प्रश्न-पत्र के लगभग चालीस शब्द इसमें नहीं है । आयोग के प्रश्न-पत्र में सम्मिलित कुछ शब्दों के स्थान पर तथाकथित प्रश्न-पत्र की प्रति में भिन्नता है। आयोग परिसर में प्रश्न-पत्रों के बिकने अथवा बटने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई और न ही किसी अभ्यर्थी ने ऐसी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी थी अतः यह आरोप भी सत्य से परे है ।

वास्तविकता यह है कि इलाहाबाद में आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा में बरती गई कठोरता के कारण अपने कुत्सित मन्तव्यों से हताश अभ्यर्थियों ने यह कुचक्र रचा है ताकि परीक्षा निरस्त हो जाये ।

उपरोक्त परीक्षा के संबंध में समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुये हैं उनमें अंकित तथ्य सही नहीं हैं व इनके संबंध में ऊपर तथ्यात्मक आख्या दी गई है ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में स्पष्ट होगा कि परीक्षा में अनियमितता एवं धांधली के संबंध में समस्त आरोप बेबुनियाद हैं और परीक्षा को निरस्त करने की मांग सर्वथा अनुचित है । ।

प्रदेश के सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन भुगतान में देरी के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)

। मा० सदस्य (श्री सुरेश संगल) ने यह सूचना दी है कि प्रदेश में हजारों शिक्षक रिटायर होने के बाद पेंशन के भरोसे ही गुजर बसर करते हैं । उनकी पेंशन हेतु जो ग्रान्ट सरकार रिलीज करती है वह हमेशा ही कई-कई माह देरी से की जाती है अतः उन्हें पेंशन प्रायः 3 से 6 माह तक देरी से मिल पाती है । उन्हें पेंशन सही समय से मिले इसके लिये जरूरी है कि या तो रिटायर अध्यापकों के पेंशन भुगतान की व्यवस्था अन्य राजकीय कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की भांति कर दी जाय अथवा उनकी ग्रांट सम्बन्धित विद्यालय के कार्यरत अध्यापकों की ग्रांट के साथ जोड़ने का प्राविधान कर दिया जाय ।

गैर सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान संबंधित संस्थाओं को अनुदान के रूप से किया जाता है । इसके लिए समुचित व्यवस्था आय-व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में की जाती है तथा अनुदान की धनराशि शिक्षा निदेशक को आवंटन हेतु उनके निवर्तन पर रख दी जाती है । किसी वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि कम पड़ने की दशा में अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्था कराई जाती है । चालू वित्तीय वर्ष में इस

नोट :–। ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हेतु आय-व्ययक में जितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी वह सभी शिक्षा निदेशक के निवर्तन पर रख दी गई है जिससे पेंशन का भुगतान समयान्तर्गत सुनिश्चित हो सके । इस प्रकार शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन भोगी कर्मचारियों को समय से पेंशन भुगतान हो सके ।

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों को समय से पेंशन प्राप्त न होने का एक कारण सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा पेंशन बिलों का नियमित रूप से समय से प्रस्तुत न करना है । पेंशन प्राप्त अध्यापकों के पेंशन बिल विद्यालयों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है । वहां से बिल राजकीय कोषागार में पारित करने हेतु भेजा जाता है । राजकीय कोषागार से पारित होने पर धनराशि विद्यालय के खाते में जमा होती है और तत्पश्चात् पेंशन का भुगतान सम्बन्धित अध्यापकों को किया जाता है । यदि संस्थाओं द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के वेतन बिलों की भांति प्रति माह नियमित रूप से पेंशनरों के भी बिल प्रस्तुत कर दिये जांय तो उन्हें नियमित रूप से मासिक पेंशन का भुगतान करने में सहायता मिलेगी । इस दिशा में बिलम्ब को रोकने के लिए समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी यह प्रभावी प्रयास किया जायगा कि संस्थायें नियमित रूप से पेंशन बिल प्रस्तुत किया करें और भुगतान में विलम्ब न हो ।

पेंशन भुगतान में आने वाली समस्याओं के निराकरण के प्रश्न पर शासन द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता रहा है और इस संबंध में पुनः सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार शिक्षकों को पेंशन प्रत्येक दशा में सही समय पर ही मिले और उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े । यदि आवश्यक हुआ तो पेंशन का समयान्तर्गत भुगतान हेतु उ० प्र० हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में वांछित संशोधन हेतु भी विचार कर लिया जायेगा और यदि कोई अन्य ठोस सुझाव प्राप्त होता है तो उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जायेगा । सम्प्रति पेंशन भुगतान राजकीय कोषागार से सीधे कराये जाने के बिन्दु पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।]

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत तदर्थ शिक्षिकों को विनियमित किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

[मा० सदस्य (श्री बची सिंह रावत) ने नियम–51 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना में पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ आधार पर कार्यरत अध्यापकों के विनियमितीकरण के संबंध में सदन में चर्चा की मांग की है ।

उपर्युक्त के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1990-91 में पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां सत्रांत (दिनांक 14-5-91) तक के लिये की गई थी । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-7-91 द्वारा इन तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक कार्यरत रखे जाने के आदेश हुए हैं । इसके अनुपालन में शासनादेश दिनांक 19-11-91 द्वारा इस आशय के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं कि यथास्थिति बनाये रखा जाय और किसी भी तदर्थ अध्यापक को सेवा से निकाला न जाय । इस प्रकार समस्त तदर्थ अध्यापक अभी भी कार्यरत हैं ।

तदर्थ आधार पर नियुक्त अध्यापकों की कुल संख्या–3409 है । समस्त रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन अप्रैल, 92 में भेजे जा चुके हैं । कार्मिक विभाग की नीति के अनुसार 1 अक्टूबर, 1986 के पश्चात् तदर्थ नियुक्तियां पूर्णतया प्रतिबंधित की जा चुकी हैं । ऐसी दशा में कार्मिक विभाग जहां एक ओर इन समस्त तदर्थ नियुक्त अध्यापकों के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विनियमितीकरण हेतु सहमत नहीं है, वहीं दूसरी ओर मा० न्यायालय के निर्णय के अनुसार वे तभी तक कार्यरत रह सकते हैं जब तक चयन प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

तत्कालीन राष्ट्रपति शासन के दौरान दिनांक 17 अक्टूबर, 1993 की परामर्शदात्री परिषद् की बैठक में इस प्रकरण को रखा गया था। इस आशय के आदेश प्राप्त हुए थे कि तदर्थ अध्यापकों के संबंध में यथास्थिति बनाये रखी जाय, और उन्हें सेवा से निकाला न जाय। इसके अतिरिक्त कतिपय बिन्दुओं पर सूचना एकत्रित कर कार्मिक व न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर इस मामले को पुनः परामर्शदात्री परिषद् की बैठक में रखे जाने के निर्देश हुए थे। इसके अनुपालन में यथास्थिति बनी हुई है। वांछित सूचनायें प्राप्त हो गयी हैं। प्रकरण को पुनः मंत्रि-परिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।

प्रकरण में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण नियमानुसार सम्भव नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जून, 1994 तक की रिक्तियों पर चयन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधियाचन भेजे जा चुके हैं। ऐसी दशा में कोई भी पद वर्तमान में रिक्त नहीं हैं। जब पद ही उपलब्ध नहीं हैं तो विनियमितीकरण सम्भव नहीं है। पुनः मा० न्यायालय के आदेशों को देखते हुए समस्त तदर्थ अध्यापक नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक ही कार्यरत रह सकते हैं।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 6 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

16 मार्च, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित श्री मुक्तिनाथ यादव, विधायक के तारांकित प्रश्न संख्या–16 का संलग्नक

क्र०सं०	नदी का नाम	ग्रामों का नाम
1–	गुर्रा	1–पिड़री
		2–पिड़रा
		3–जगत माझा
		4–करनपुर
		5–शीतल माझा
		6–पलिया
		7–नैलउर
		8–बहौरा
		9–जगदीशपुर
		10–नरायनपुर
		11–पाण्डे माझा
2–	राप्ती	1–डढ़िया
		2–नगवां
		3–तलाशपुर
		4–गायघाट
	योग ..	15 गांव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित श्री सुरेन्द्र कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर का संलग्नक

ग्रामीण आवास परिषद् के अधीन मूल अधिष्ठान में सृजित विभिन्न श्रेणी के पदों का विवरण :–

क्र० सं०	संवर्ग	सृजित पदों की संख्या	अनु०जा०/ ज०जा०के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की संख्या	अनु०जा०/ ज०जा० के सदस्यों का प्रतिनिधित्व	कुल भरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	"क" श्रेणी संवर्ग	4	–	–	4	–	सभी पद प्रतिनियुक्ति से भरे हैं।
2	"ख" श्रेणी संवर्ग	4	–	–	2	2	–
3	"ग" श्रेणी संवर्ग :–						
	(क) लेखा संवर्ग	4	–	–	3	1	3 पद प्रतिनियुक्ति से भरे गये हैं।
	(ख) आशुलिपिक संवर्ग	4	–	–	3	1	–
	(ग) लिपिकीय संवर्ग	6	1	–	4	2	–
	(घ) अवर अभियन्ता	4	–	–	4	–	–
	(ङ) मानचित्रक संवर्ग	1	–	–	–	1	–
	(च) वाहन चालक संवर्ग	4	–	25% (1)	4	–	–
4	"घ" श्रेणी संवर्ग	9	2	33% (3)	7	2	–
	योग	40	3	–	31	9	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इन्दिरा आवास योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत परिषद् के अधीन गठित तकनीकी प्रकोष्ठ में सृजित पदों का विवरण :–

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	अनु०जा०/ ज०जा०के सदस्यों के लिए आर० पदों की संख्या	अनु०जा०/ ज०जा० के सदस्यों का प्रतिनिधित्व	कुल भरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	उप निदेशक	1	–	–	–	1	–
2	अधिशासी अभियन्ता	1	–	–	1	–	प्रतिनियुक्ति पर तैनात
3	सहायक अभियन्ता	2	–	–	–	2	–
4	अवर अभियन्ता	6	1	18%(1)	6	–	–
5	आशुलिपिक	2	–	–	–	2	–
6	अवर वर्ग सहायक/टंकक	2	–	–	–	2	–
7	वाहन चालक	2	–	–	2	–	–
8	चपरासी	6	1	–	–	6	–
	योग :	22	2	–	9	13	–

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के जनपद स्तरीय, समन्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु शासनादेश संख्या–3395/38–5–400(एम–29), दिनांक 12-9-88 द्वारा परिषद् के अधीन 62 जनपदों में एक जनपदीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसमें इस समय सहायक लेखाकार, सहायक श्रेणी तृतीय तथा चपरासी के एक-एक पद कुल मिलाकर 186 पद सृजित हैं । शासनादेश में निहित निर्देशों के अनुसार ग्राम्य विकास के कर्मियों से ही प्रतिनियुक्ति द्वारा इन पदों को भरे जाने की व्यवस्था है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित श्री मित्रसेन यादव

के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 से संबंधित अनुपूरक सामग्री

ग्राम अछोरा, विकास क्षेत्र हरिग्टनगंज, फैजाबाद में लघु सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में की गयी निःशुल्क बोरिंग एवं लाभान्वित कृषकों की सूची :–

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम की वर्तमान स्थिति	बोरिंग पर पम्प सेट	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
			वर्ष 1991-92		
1	यू० पी० एग्रो, फैजाबाद	श्री चन्द्रिका प्रसाद	श्री रामेश्वर	चालू है	
2	,,	श्री जसकरन	श्री जगन्नाथ	,,	
3	,,	श्री गिरेन्द्र बहादुर	श्री बैजनाथ	,,	
4	,,	श्री नवीन कुमार	श्री अमर नाथ	चालू स्थिति में नहीं है	डीजल पम्प सेट कृषक के पास नहीं है ।
5	,,	श्री परमेश्वर	श्री राम औतार	चालू है	
6	,,	श्री राम लखन	श्री नन्हकू	,,	
7	पूर्वांचल विकास निगम, फैजाबाद	श्रीमती शान्ती देवी	श्री लाल बहादुर	,,	

8	,,	श्री हीरा लाल	श्री नन्हकू	,,	
9	,,	श्री रामफेर	श्री शिव करन	,,	
10	,,	श्री जय नारायण पाण्डे	श्री राम बहादुर पाण्डे	चालू स्थिति में नहीं है	डीजल पम्प सेट कृषक के पास नहीं है ।
11	,,	श्री राम बरन	श्री भगौती	चालू है	
12	,,	श्री हरिनाथ	श्री राम नरेश	चालू स्थिति में नहीं है	डीजल पम्प सेट कृषक के पास नहीं है ।
			वर्ष 1992-93		
13	,,	श्री निवास पाण्डे	श्री सूर्य नारायण	चालू स्थिति में नहीं है	पम्प सेट का -विद्युती–करण होना है ।
14	यू० पी० एग्रो, फैजाबाद	श्रीमती राम खुशी	पत्नी श्री जमुना	चालू है	
15	लघु सिंचाई विभाग, फैजाबाद	श्री राम सूरत	श्री उमादत्त	चालू स्थिति में नहीं है ।	पम्प सेट का विद्युती-करण होना है ।
16	,,	श्री मेड़ई	श्री खेदरू	चालू है	अनुबन्धपूर्ण है ।
17	,,	श्री पहाड़ी	श्री झिगुरी	,,	
18	,,	श्री कलहू	श्री सरजू	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
19	,,	श्रीमती शान्ति देवी	पत्नी श्री सिया राम	,,	
20	,,	श्री जवाहिर	श्री नन्हकू	,,	
			वर्ष 1993-94		
21	लघु सिंचाई विभाग, फैजाबाद	श्री राम मिलन	श्री बिहारी	चालू है	
22	,,	श्री राम कृपाल	श्री सत्य नारायण	,,	
23	,,	श्री अंग्रेज बहादुर	श्री राम नाथ सिंह	,,	
24	,,	श्री बरसाती मौर्य	श्री.....	,,	
25	यू० पी० एग्रो, फैजाबाद	श्री विक्रम बहादुर सिंह	श्री बंश बहादुर सिंह	,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

संख्या–5683/92–27–सिं०–7

प्रेषक,

श्री अशोक दुग्गल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेशा शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उ० प्र०,
लखनऊ ।

सिंचाई अनुभाग–7 लखनऊ, दिनांक 22 अक्टूबर, 1992

विषय :–भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित परिवार के आश्रित को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के अर्द्धशासकीय पत्रांक 59/ई–4क/4बी/, दिनांक 9 जनवरी, 1992 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 23/25/1973–कार्मिक–2, दिनांक 18 जून, 1985 में एवं तत्संबंधी अन्य शासनादेशों में केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों को सेवायोजित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । सिंचाई विभाग में नहरों के निर्माण विभिन्न परियोजनाओं एवं तालाबों आदि के खुदाई के लिए हजारों काश्तकारों की थोड़ी-थोड़ी भूमि अधिगृहीत की जाती है जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जाती है ।

2–चूंकि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर लागू होता है और सिंचाई विभाग द्वारा अधिगृहीत भूमि पर कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जाती है अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश एवं तत्संबंधी अन्य शासनादेशों से सिंचाई विभाग आच्छादित नहीं होता है और सिंचाई विभाग पर लागू नहीं माने जायेंगे ।

3–यह आदेश कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
ह०/अशोक दुग्गल,
संयुक्त सचिव ।

पृष्ठ संख्या (1)/92-27-सिं०-7. तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सिंचाई सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
ह०/अशोक दुग्गल,
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

उन्नाव जनपद में परित्याग हेतु प्रस्तावित राजकीय नलकूपों का विवरण

क्र०सं०	ब्लाक	ग्राम	कूप संख्या व समूह
1	सिकन्दरपुर-सरौसी	खट्टू खेड़ा	04 यू० जी०
2	,,	सिलौली	08 यू० जी०
3	सिकन्दरपुर-करन	बन्धर	12 यू० जी०
4	,,	सिकन्दरपुर	14 यू० जी०
5	फतेहपुर–चौरासी	दोश्तपुर शोली	10 एस० जी०
6	,,	शेरपुर अछेहा	16 एस० जी०
7	गंज-मुरादाबाद	बेहटा मुजावर	29 एस० जी०
8	मियागंज	फिरोजपुर	05 एच० जी०
9	नवाबगंज	रुद्रवारा	11 एच० जी०
10	हिलौली	रजवाड़ा	20 पी० जी०
11	असोहा	पाठकपुर	31 पी० जी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 56 विधान सभा (82)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।